VI विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता

बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति गुणवत्ता से जुड़ी चिंताओं की पृष्ठभूमि में बैंक-ऋण की सुपुर्दगी के लिए उधार-व्यवस्था पर दिशा-निर्देश जारी किए गए ताकि बड़े उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन बढ़ाया जा सके। दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के प्रयासों को आगे ले जाने के उद्देश्य से तथा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उस निर्णय के प्रकाश में, जिसमें उन्होंने तत्कालीन फ्रेमवर्क को निष्प्रभावी करार दिया था, दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान लिए संशोधित विवेकसम्मत फ्रेमवर्क बनाया गया। वर्ष के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का निर्धारण चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के अनुसार किया जाना, चलनिधि मानकों और बसेल III के अंतर्गत पूंजी विनियमन का क्रियान्वयन करने संबंधी नये दिशा-निर्देश जारी करना, डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा मानदंडों को सुदृढ़ बनाना, डिजिटल लेन-देन संबंधी लोकपाल योजना (ओएसडीटी) और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की विभिन्न श्रेणियों के लिए बनाए गए विनियमों के बीच तालमेल स्थापित करना जैसे कार्य किए गए। सहकारी बैंकों के लिए विनियामकीय और पर्यवेक्षी नीतियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए बनीं विनियामकीय और पर्यवेक्षी नीतियों के अनुकूल बनाया गया।

VI.1 इस अध्याय में बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष के दौरान किए गए विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपायों तथा 2019-20 के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई है। दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए उस समय विद्यमान फ्रेमवर्क को अक्षम पाए जाने संबंधी भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में संशोधित फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के वित्तीय विवरणों की पारदर्शिता में सुधार करने, बड़े उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन बढ़ाने, एसएलआर का एलसीआर अपेक्षाओं के साथ संरेखण करने के साथ-साथ बसेल III मानदंडों के अधीन चलनिधि मानकों और पूंजी विनियमन के नये दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन तथा डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा मानदंडों को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ष के दौरान डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) का क्रियान्वयन किया गया।

VI.2 अन्य क्षेत्रों की बात करें तो, एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों के लिए विनियमन को सुसंगत बनाने, एनबीएफसी द्वारा चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन, एनबीएफसी के प्रति एक्सपोजर का रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई रेटिंग के अनुसार मूल्यांकन करने, सरकार के स्वामित्व वाली सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशियां स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी एनडी-एसआई) तथा सरकार के स्वामित्व वाली जमाराशियां स्वीकार करने वाली एनबीएफसी को रिज़र्व बैंक की ऑन-साइट निरीक्षण संरचना तथा ऑफ-साइट निगरानी के अंतर्गत लाने संबंध में नीतिगत ध्यान दिया गया।

VI.3 सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) का स्वेच्छा से लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में बदलना, तथा कपटपूर्ण प्रस्तावों, बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए), वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएं और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग जैसे विषयों पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (रिज़र्व बैंक के एसएमएस हैंडल 'आरबीआई कहता है' सहित) के माध्यम से पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाना हमारी प्राथमिकताएं रहीं।

VI.4 इस अध्याय के शेष भाग को चार भागों में बांटा गया है। भाग 2 में वित्तीय स्थिरता इकाई के अधिदेश और कार्यों पर चर्चा की गई है। भाग 3 में बैंकिंग विनियमन विभाग, सहकारी बैंक विनियमन विभाग तथा गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न विनियामकीय उपायों का वर्णन किया गया है। भाग 4 में वर्ष के दौरान बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग तथा गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा किए गए उपायों तथा प्रवर्तन विभाग द्वारा की गई प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयों को शामिल किया गया है। भाग 5 में उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, जागरूकता

फैलाने, और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए निभायी गयी भूमिका को रेखांकित किया गया है। इन विभागों ने उनसे संबंधित भागों में वर्ष 2019-20 के लिए अपनी कार्य-योजना भी निर्धारित की है।

2. वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू)

VI.5 वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) का अधिदेश वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिमों की जांच द्वारा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुदृढ़ता पर निगरानी रखना, प्रणालीगत दबाव-परीक्षण करना, वित्तीय नेटवर्क के विश्लेषण के माध्यम से समष्टि विवेकपूर्ण निगरानी करना (बॉक्स VI.1) तथा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफ़एसआर) के माध्यम से जानकारी और विश्लेषण का प्रसार करना है। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी), जो देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और समष्टि विवेकपूर्ण की निगरानी के लिए एक समन्वयक परिषद है, की उपसमिति के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।

बॉक्स VI.1
वित्तीय नेटवर्कों के माध्यम से जोखिम का प्रसार

परस्पर-संबद्ध वित्तीय संस्थाओं की दुनिया में जोखिमों के प्रसार को समझने के लिए नेटवर्क अध्ययनों का महत्व बढ़ रहा है।

इसमें विभिन्न कारकों की जटिल अंत:क्रिया शामिल है : क) नेटवर्क टोपोलॉजी; (ख) नोड से जुड़ी विशेषताएं जो नेटवर्क को पॉपुलेट करती हैं; और (ग) आघातों का स्वरूप।

क) *नेटवर्क टोपोलॉजी*

नेटवर्क टोपोलॉजी का संबंध नेटवर्क में वित्तीय संस्थाओं की व्यवस्था से है। नेटवर्क टोपोलॉजी निर्देशित या अनिर्देशित हो सकती है। किसी अनिर्देशित नेटवर्क टोपोलॉजी में, यदि नोड *आई* और *जे* जुड़े हुए हों, तो यह माना जाता है कि नोड जे से आई तक तथा आई से जे तक पहुंचा जा सकता है। निर्देशित नेटवर्क में जोड़ (कनेक्शन) की दिशा महत्वपूर्ण हो जाती है। मित्रता/भागीदारी अनिर्देशित नेटवर्क के उदाहरण हैं जबकि क्रेडिट एक्सपोजर निर्देशित नेटवर्क का उदाहरण है। नेटवर्क टोपोलॉजी को सामान्यतः *नोड्स* {1,....,एन) और *लिंक्स* के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो नोड्स के युग्मों को जोड़ते हैं। इस विश्लेषण को सहजसंपाद्य बनाए रखने के लिए सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि ये नोड्स अन्य सभी दृष्टियों से - जैसे आकार, लीवरेज, और आस्ति गुणवत्ता - एकसमान हैं। *डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन* अन्य नोड्स के साथ लिंक्स की संख्या है, जो नोड के महत्व की एक सरल माप है; पास-पास होने की *ईजेनवैल्यू सेन्ट्रालिटी*[1] तथा देयता मैट्रिक्स अन्य माप हैं।

ख) *नोड की विशेषताएं*

नोड की विशेषताओं का आशय आकार, लीवरेज और आस्ति गुणवत्ता जैसी विशेषताओं से हैं (ग्लासमैन एंड यंग, 2015)। वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान जो बैंक विफल हुए, उनका लीवरेज अधिक था, पूंजी बफर कम था, अल्पकालिक निधीयन पर उनकी निर्भरता अत्यधिक थी तथा ऐसे जटिल व्युत्पन्नी उत्पादों के प्रति उनका एक्सपोज़र था जिनके जोखिमों को समुचित रूप से समझा नहीं गया था। नेटवर्क टोपोलॉजी से बिलकुल निरपेक्ष होकर ये संक्रामक रूप से फैले, और इसलिए उनके प्रभाव का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

ग) *आघातों का स्वरूप*

इस संक्रमण को प्रभावित करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जो प्राय: वित्तीय संकट की शुरुआत के मूल में होता है, वह है - एक ऋणशोधन क्षमता पर लगने वाला आघात (अर्थात् वह आघात जो स्थावर आस्तियों में हानि से उत्पन्न होता है, उदाहरणार्थ- किसी ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में मंदी, जिसमें बैंक का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है); चलनिधि आघात (अर्थात् वह आघात जो जमाकर्ताओं द्वारा बैंक से जमाराशियों के आहरण के लिए मारामारी से उत्पन्न होता है); *एक विचित्र आघात*; या कोई समष्टि आर्थिक आघात। एक ऋणशोधन क्षमता आघात के प्लवन (स्पिल-ओवर) प्रभाव की हानियों के द्वारा प्रसारित होगा। चलनिधि आघात के परिणामस्वरूप आनन-फानन में बिक्री हो सकती है, जिससे संक्रमण फैलेगा।

प्रसारण मॉडल

नोड की विशेषताओं और नेटवर्क टोपोलॉजी संबंधी डाटा तथा आघात के स्वरूप के संबंध में सूचना को फीडबैक प्रणालियों तथा भुगतान के वरीयता क्रम में अंतर की गणना के साथ एक प्रसारण (ट्रांसमिशन) मॉडल में फीड किया जाता है। इसके परिणामों का सूक्ष्म विवेचन अस्थिरता के स्रोतों का पता लगाने में सहायता कर सकता है, ताकि एक उचित नीतिगत प्रतिसाद विकसित किया जा सके।

संदर्भ :

ग्लासमैन, पी एंड यंग, एच पी (2015) "हाउ लाइकली इज़ कंटेजियन इन फाइनेंशियल नेटवर्क्स ?" जर्नल आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, 50, 383–399.

[1] किसी नोड की ईजेनवैल्यू सेंट्रालिटी उच्च होती है यदि यह उच्च सेंट्रालिटी वाले अन्य नोड्स से जुड़ा होता है।

वर्ष 2018-19 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

VI.6 एफएसआर का प्रकाशन दिसंबर 2018 तथा जून 2019 में किया गया। जून 2019 के एफएसआर में प्रमुख एनबीएससी के संदर्भ में संक्रामक प्रभाव संबंधी विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया।

VI.7 एफएसडीसी की उपसमिति ने 2018-19 में एक बैठक का आयोजन किया जिसमें क्रेडिट रेटिंग की गुणवत्ता संबंधी चुनौतियां और आवास वित्त कंपनियों तथा हाउसिंग डेवलपर्स के बीच परस्पर संबंध सहित वित्तीय स्थिरता संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इसके अतिरिक्त, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता विषयक अध्ययन तथा वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) पर भी चर्चा की गई।

VI.8 अंतर-नियामक तकनीकी समूह (आईआरटीजी) एफएसडीसी की उपसमिति का उप-समूह है। वर्ष के दौरान इसकी दो बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में लेखा समूहकों के लिए तकनीकी मानकों तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। धनशोधन निवारण (पीएमएल) नियमों में संशोधन के परिणामस्वरूप आईआरटीजी ने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दे, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), ओपन एंडेड डेट म्यूचुअल फंडों का प्रणालीगत जोखिम तथा पियर-टु-पियर (पी2पी) लेंडिंग प्लेटफार्म के लिए सेबी के मान्यताप्राप्त निवेशक फ्रेमवर्क को लागू करने पर भी ध्यान दिया गया।

वर्ष 2019-20 की कार्य-योजना

VI.9 आगामी वर्ष में, एफएसयू द्वारा समष्टि-विवेकसम्मत निगरानी, एफएसआर के प्रकाशन और एफएसडीसी उप-समिति की बैठकों के आयोजन का कार्य किया जाता रहेगा। इसके अलावा, वर्तमान दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क / कार्य-प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा, ताकि प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जा सके।

3. वित्तीय मध्यस्थों का विनियमन

वाणिज्यिक बैंक : बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर)

VI.10 बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर) वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन के लिए नोडल विभाग है, जो किफायती और समावेशी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु बैंकिंग प्रणाली को स्वस्थ तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाना सुनिश्चित करता है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए विनियामकीय फ्रेमवर्क को भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षाओं के अनुरूप समायोजित किया जाता है।

वर्ष 2018-19 की कार्य-योजना – कार्यान्वयन की स्थिति

दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान - विवेकसम्मत फ्रेमवर्क

VI.11 रिज़र्व बैंक ने 12 फरवरी 2018 के परिपत्र के द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया, जिसके केंद्र में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 थी। विशेष रूप से, इस फ्रेमवर्क में बैंकों से अपेक्षा की गई है कि वे बड़े उधारकर्ताओं (जिनके प्रति उस समय बैंकिंग प्रणाली का एक्सपोजर ₹20 बिलियन या उससे अधिक था) की चूक को चूक की तारीख से 180 दिनों के भीतर सुधारें, अन्यथा ऐसे उधारकर्ताओं के विरुद्ध शोधन कार्यवाही प्रारंभ करनी पड़ेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निर्णय के द्वारा उक्त फ्रेमवर्क को बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 35एए के अनुसार शक्ति से बाहर पाया गया। इसके परिणामस्वरूप, 7 जून 2019 को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु एक संशोधित विवेकसम्मत फ्रेमवक बनाया गया।

VI.12 उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसरण में समाधान योजना लागू करने में विफल होने पर अनिवार्य दिवाला कार्यवाही के स्थान पर संशोधित विवेकसम्मत फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसमें समाधान योजना के कार्यान्वयन में विलंब होने पर अतिरिक्त प्रावधानीकरण को अनिवार्य बनाने अथवा दिवाला कार्यवाही शुरू करने की व्यवस्था की गयी। विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क

में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विनियामक विधि में अंतर्निहित निम्नलिखित मूल सिद्धांत भी सम्मिलित किए गए हैं :-

ए. बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और एनबीएफसी द्वारा बड़े उधारकर्ताओं के संबंध में चूक की शीघ्र पहचान और रिपोर्टिंग;

बी. पहले की समाधान योजनाओं (एस 4 ए, एसडीआर, 5/25 आदि) का अधिक्रमण करते हुए विनिर्दिष्ट समय सीमा और स्वतंत्र मूल्यांकन के अधीन ऋणदाताओं को समाधान योजनाओं के स्वरूप और कार्यान्वयन के संबंध में पूर्ण विवेकाधिकार दिए गए;

सी. पुनर्रचना के समय आस्ति वर्गीकरण में दी जाने वाली रियायत को वापस लेना। उचित समय के लिए संतोषजनक कार्य निष्पादन के सार्थक प्रदर्शन के आधार पर भावी उन्नयन किए जाएंगे;

डी. पुनर्रचना के प्रयोजन से वित्तीय कठिनाई की परिभाषा को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाया गया; तथा

ई. सभी उधारकर्ताओं द्वारा अंतर-ऋणदाता करार (आईसीए) पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य बनाया गया, जो बहुमत से निर्णय प्रक्रिया मानदंड उपलब्ध कराएगा।

VI.13 उपर्युक्त फ्रेमवर्क में निहित बातों के होते हुए भी, जहां भी आवश्यक हो, रिज़र्व बैंक कुछ विशिष्ट प्रकार की चूकों के लिए उधारकर्ताओं के विरुद्ध ऋणशोधन कार्यवाही शुरू करने के निदेश देगा, ताकि प्रभावी समाधान के अभियान के साथ कोई समझौता न करना पड़े। यह अपेक्षा की जाती है कि मौजूदा परिपत्र से ऋण संस्कृति में वह सुधार बना रहेगा, जो भारत सरकार और रिज़र्व बैंक के अब तक के प्रयासों से लाया गया है, और जो भारत में मजबूत और आघात- सहनीय वित्तीय प्रणाली को आगे बढ़ाने में सहायक होगा।

ऋण अनुशासन

VI.14 बड़े उधारकर्ताओं के मध्य अनुशासन बढ़ाने की दृष्टि से, बैंक ऋण की सुपुर्दगी के लिए कर्ज प्रणाली संबंधी दिशा-निर्देश 5 दिसंबर 2018 को जारी किए गए। इसके अलावा, बैंकिंग प्रणाली से ₹1500 मिलियन या उससे अधिक की निधि- आधारित कार्यशील पूंजी वाले उधारकर्ताओं के लिए 'ऋण घटक' की मंजूर की गई सीमा के 40 प्रतिशत का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया गया जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है। दिनांक 1 अप्रैल 2019 से उक्त बड़े उधारकर्ताओं को मंजूर की गई क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट सीमाओं के अनाहरित हिस्से पर 20 प्रतिशत क्रेडिट संपरिवर्तन कारक लगाया जाएगा, चाहे वह बिना शर्त निरस्त करने योग्य हो, या नहीं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के मौजूदा ऋणों की एकबारगी पुनर्रचना

VI.15 एमएसएमई के मौजूदा ऋण, जो 1 जनवरी 2019 को डिफॉल्ट में थे, किंतु जिनकी गुणवत्ता मानक है, के आस्ति वर्गीकरण का दर्जा घटाए बिना एकबारगी पुनर्रचना की अनुमति दी गयी। उक्त योजना ऐसे एमएसएमई के लिए उपलब्ध है जो अन्य बातों के साथ-साथ 1 जनवरी 2019 को बैंक और एनबीएफसी में ₹250 मिलियन का अधिकतम एक्सपोजर रखते हैं और वस्तुनिष्ठ मानदंडों की अर्हता पूर्ण करते हैं। उक्त पुनर्रचना को 31 मार्च 2020 तक कार्यरूप देना होगा तथा इस योजना के अंतर्गत पुनर्रचित खातों के संबंध में 5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान बनाए रखना होगा।

एनबीएफ़सी पर एक्सपोजर के लिए जोखिम भार

VI.16 कॉर्पोरेट को एक्सपोजर की पद्धति के समान ही उच्च रेटिंग वाली एनबीएफसी को ऋण प्रवाह उपलब्ध कराने हेतु मौजूदा नियमों के अधीन तथा ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए मानकीकृत विधि के अंतर्गत कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) को छोड़कर सभी एनबीएफसी में निवेश को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत और आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग के अनुसार जोखिम भार दिया गया है। सीआईसी रेटेड हो चाहे अनरेटेड, के प्रति एक्सपोजर को 100 प्रतिशत जोखिम भारित किया जाना जारी रहेगा।

पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगियों (डबल्यूओएस) के माध्यम से विदेशी बैंकों का बैंकिंग परिचालन

VI.17 एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड (एसबीएम समूह, मॉरीशस की अनुषंगी) तथा डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड (डीबीएस बैंक लिमिटेड, सिंगापुर की अनुषंगी) को पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी (डबल्यूओएस) के रूप में भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए क्रमशः 6 दिसंबर 2017 तथा 4 अक्टूबर 2018 को लाइसेंस जारी किए गए। उन्होंने क्रमश 1 दिसंबर 2018 और 1 मार्च 2019 को डबल्यूओएस के रूप में अपना परिचालन प्रारंभ किया।

बैंकों के लिए बने पारिश्रमिक संबंधी दिशा-निर्देश

VI.18 रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों में पूर्णकालिक निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा नियंत्रण कार्य करने वाले स्टाफ के पारिश्रमिक के संबंध में 2012 में दिशा-निर्देश जारी किए थे। प्राप्त अनुभव तथा प्रचलित अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर इन दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गयी तथा फरवरी 2019 में एक विमर्श-पत्र जारी किया गया जिस पर हितधारकों की प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गयीं। प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जांच की जा रही है तथा शीघ्र ही संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

बाहरी संस्था द्वारा ऋणों की बेंचमार्किंग

VI.19 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर 5 दिसंबर 2018 के वक्तव्य में यह घोषित किया गया था कि बैंकों द्वारा 1 अप्रैल 2019 से दिए जाने वाले अस्थिर दर वाले सभी नये वैयक्तिक या खुदरा ऋण (आवास, वाहन आदि) तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए जाने वाले अस्थिर दर वाले ऋणों की बेंचमार्किंग रिज़र्व बैंक की रिपो दर या फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित कोई अन्य बेंचमार्क बाजार ब्याज-दर जैसे बाहरी बेंचमार्क में से किसी एक के आधार पर की जाएगी। दिनांक 4 अप्रैल 2019 के विकासात्मक और विनियामकीय नीति वक्तव्य में की गयी घोषणा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि हितधारकों के साथ फिर से चर्चा करते हुए दरों के संचरण हेतु एक प्रभावी प्रणाली तैयार की जाए।

बड़ी जमाराशियां

VI.20 बड़ी जमाराशियां जुटाने के लिए बैंकों की परिचालनगत स्वतंत्रता बढ़ाने की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और लघु वित्त बैंक (एसएफबी) को छोड़कर अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए 22 फरवरी 2019 से बड़ी जमाराशियों की परिभाषा को 'दो करोड़ और उससे ऊपर की रुपये में की गयी एकबारगी मीयादी जमा' के रूप में संशोधित किया गया है।

राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) का मूल्यन

VI.21 दिनांक 27 जुलाई 2018 को बैंकों को सूचित किया गया कि एसडीएल का वस्तुनिष्ठ मूल्यन किया जाएगा जिसमें उनका मूल्य दर्शाने के लिए प्रेक्षित कीमतों / प्रतिलाभ को आधार बनाया जाएगा जिसे एफबीआईएल उपलब्ध कराएगा। अब एफबीआईएल द्वारा 15 अप्रैल 2019 से इस नई पद्धति के आधार पर एसडीएल की कीमत/प्रतिलाभ को प्रकाशित किया जा रहा है।

एनबीएफसी तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) द्वारा जारी बॉण्डों पर आंशिक ऋण वृद्धि

VI.22 दिनांक 2 नवंबर 2018 को बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी-एनडी-एसआई और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के पास पंजीकृत एचएफसी द्वारा जारी बॉण्डों पर आंशिक ऋण वृद्धि (पीसीई) उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई।

एसएलआर का एलसीआर के साथ संरेखण

VI.23 वर्तमान रोडमैप के अनुसार, बासेल III मानदंडों के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को 1 जनवरी 2019 तक 100 प्रतिशत के न्यूनतम एलसीआर के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना था। एसएलआर को एलसीआर के साथ संरेखित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि एसएलआर, जो एनडीटीएल का 19.5 प्रतिशत था, को 5 जनवरी 2019 से प्रारंभ प्रत्येक कैलेंडर तिमाही में 25 आधार अंक घटाते हुए एनडीटीएल के 18 प्रतिशत तक लाया जाए।

केंद्रीय प्रतिभूतीकरण आस्ति पुनर्गठन और प्रतिभूति हित रजिस्ट्री (सरसाई) में अचल, चल और अमूर्त आस्तियों के संबंध में प्रतिभूति हित फाइल करना

VI.24 दिनांक 27 दिसंबर 2018 को सभी एससीबी (आरआरबी सहित), एसएफबी, स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी),

सहकारी बैंकों, एनबीएफसी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) को सूचित किया गया कि वे वर्तमान में जारी लेन-देनों के संबंध में 31 मार्च 2019 तक तथा सभी चालू लेन-देनों के संबंध में निरंतर आधार पर सरसाई के साथ प्रभार फाइलिंग पूर्ण कर लें।

चलनिधि मानकों पर बासेल III फ्रेमवर्क - एनबीएफसी और एचएफसी को संवितरित ऋण पर एलसीआर/ चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि लेने की सुविधा (एफएएलएलसीआर) – 31 मार्च 2019 तक के लिए सुविधा

VI.25 अक्तूबर 2018 में, बैंकों को यह अनुमति दी गई थी की 19 अक्तूबर 2018 के बाद एनबीएफसी और एचएफसी को वृद्धिशील उधार देने के संबंध में बैंक के एनडीटीएल के 0.5 प्रतिशत तक अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के भीतर वे एफएएलसीसीआर के अंतर्गत श्रेणी 1 उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचयूएलए) में सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) की गणना कर सकते हैं। दिनांक 31 दिसंबर 2018 तक उपलब्ध इस सुविधा को 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि बैंक एनबीएफसी और एचएफसी को ₹600 बिलियन की अतिरिक्त राशि उधार दे सकें। एनबीएफसी के लिए एकल उधारकर्ता सीमा (इन्फ्रास्ट्रक्चर का वित्तपोषण नहीं), जिसे 31 दिसंबर 2018 तक पूंजीगत निधियों के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया था, को 31 मार्च 2019 तक उपलब्ध कराया गया।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना

VI.26 भारत सरकार द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 में संशोधन किए जाने के अनुरूप 9 जनवरी 2019 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) को सूचित किया गया कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली धर्मार्थ संस्थाएं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्ववाली अन्य कोई संस्था को योजना के अंतर्गत जमा करने के लिए पात्र व्यक्ति के रूप में शामिल किया गया है।

बासेल III पूंजी विनियमावली के अंतर्गत संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा

VI.27 पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी), जो फिलहाल 1.875 प्रतिशत है, को 31 मार्च 2016 से 0.625 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 31 मार्च 2019 तक 2.50 प्रतिशत करने का लक्ष्य था, क्योंकि अनेक बैंक दबाव के दौर से गुजर रहे थे, जैसा कि उनकी कमजोर वित्तीय स्थिति में प्रतिबिंबित हो रहा था। इसलिए, जनवरी 2019 में यह निर्णय लिया गया कि 0.625 प्रतिशत के अंतिम चरण को लागू करने की संक्रमण अवधि को 1 वर्ष से, अर्थात् 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया जाए। (एटी1) लिखतों को राइट डाउट करने / बदलने के लिए सामान्य इक्विटी टिअर (सीईटी 1) स्तर में 5.50 प्रतिशत से 6.125 प्रतिशत की वृद्धि को भी 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक के लिए आस्थगित कर दिया गया है।

व्यापारिक निर्यातों को शामिल करने हेतु वह पोत लदान पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना

VI.28 भारत सरकार ने पोतलदान पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र में 2 नवंबर 2018 से ऐसे क्षेत्र के विनिर्माताओं द्वारा निर्यातों के संबंध में ब्याज समतुल्यीकरण दर को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बैंकों को इसकी सूचना दे दी गयी है।

इंड एएस का कार्यान्वयन

VI.29 दिनांक 5 अप्रैल 2018 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) के लिए इंड एएस के कार्यान्वयन को एक वर्ष के लिए आस्थगित कर दिया गया क्योंकि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में जरूरी विधायी संशोधन लंबित था तथा बहुत से बैंक इसके लिए तैयारी का अपेक्षित स्तर अभी प्राप्त नहीं कर सके थे। चूंकि उक्त विधायी संशोधन अभी भारत सरकार के विचाराधीन है, अतः बैंकों के लिए इंड एएस का कार्यान्वयन अग्रिम सूचना मिलने तक आस्थगित किया गया है।

वित्तीय विवरणों के 'लेखा पर टिप्पणियों' में प्रकटीकरण

VI.30 दिनांक 18 अप्रैल 2017 को बैंकों को सूचित किया गया कि जहां कहीं (क) संदर्भाधीन अवधि के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित अतिरिक्त प्रावधानीकरण अपेक्षाएं कराधान के बाद प्रकाशित निवल लाभ के 15 प्रतिशत से अधिक हों, अथवा (ख) संदर्भाधीन अवधि के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त सकल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15 प्रतिशत से अधिक

हों, या दोनों स्थितियां हों, तो आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मानदंडों से विचलन के ब्योरे का प्रकटीकरण करें। दिनांक 1 अप्रैल 2019 के परिपत्र के अनुसार प्रकटीकरण अपेक्षाओं को रिपोर्ट किए गए निवल लाभ के बजाय प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ से जोड़ा गया है। बैंकों से अपेक्षा की गई कि जब निम्नलिखित में से एक या दोनों शर्तें पूरी की जाए तब विचलन संबंधी प्रकटीकरण करें: (क) रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण संदर्भाधीन अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के 10 प्रतिशत से अधिक हो, तथा (ख) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भाधीन अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15 प्रतिशत से अधिक हो।

चलनिधि मानकों पर बासेल III फ्रेमवर्क

VI.31 बैंकों के लिए एलसीआर की गणना के प्रयोजन से एचक्यूएलए श्रेणी 1 के रूप में अनुमत आस्तियों में अन्य बातों के साथ-साथ (क) न्यूनतम एसएलआर अपेक्षाओं से अधिक जी-सेक तथा (ख) अनिवार्य एसएलआर अपेक्षाओं के भीतर (i) सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) [बैंक के एनडीटीएल का 2 प्रतिशत] तथा (ii) एफएलसीएलएलसीआर [बैंक के एनडीटीएल का 11 प्रतिशत] के भीतर रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक जी-सेक शामिल हैं। ये दोनों दरें 25 जून 2018 से प्रभावी हैं। उसके बाद, 1 अक्तूबर 2018 से एफएएलएलसीआर के अंतर्गत एसएलआर से निकासी (कार्व आउट) को 2 प्रतिशत से बढ़ाया गया। बैंकों को सूचित किया गया कि एलसीआर की गणना के प्रयोजन से 4 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2020 तक उनके द्वारा अनिवार्य एसएलआर अपेक्षाओं के भीतर एफएएलएलसीआर के अंतर्गत एचक्यूएलए श्रेणी 1 के रूप में धारित अतिरिक्त 2 प्रतिशत जी-सेक को हिसाब में लें (प्रत्येक चार माह में 50 आधार अंक की वृद्धि जिससे एफएएलएलसीआर की दर एनडीटीएल के 13 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत, और एसएलआर से कुल एचक्यूएलए निकासी एनडीटीएल के 15 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत हो जाएगी)।

केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन

VI.32 भारत सरकार द्वारा फरवरी 2019 में पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन की अधिसूचना तथा "आधार और अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019" द्वारा धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन के परिणामस्वरूप 29 मई 2019 के परिपत्र द्वारा केवाईसी पर मास्टर निदेश में परिवर्तन किए गए। प्रमुख परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) बैंकों को व्यक्तियों की पहचान के लिए स्वैच्छिक रूप से उनके आधार क्रमांक का प्रयोग करके आधार अधिप्रमाणन / ऑफलाइन सत्यापन की अनुमति देना; (ii) आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) की सूची में "आधार क्रमांक धारण करने का प्रमाण" जोड़ना; (iii) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत कोई लाभ या आर्थिक सहायता प्राप्त करने वालों के ई-केवाईसी अधिप्रमाणन हेतु ग्राहकों का आधार क्रमांक प्राप्त करना; तथा (iv) बैंकों से इतर विनियमित संस्थाओं द्वारा ग्राहकों की पहचान के लिए आधार अधिनियम के अंतर्गत ऑफलाइन सत्यापन का प्रावधान करना, यदि स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त, उक्त मास्टर निदेश में अनिवासी भारतीय (एनआरआई) तथा भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) श्रेणी के ग्राहकों के ओवीडी को प्रमाणित करने हेतु अतिरिक्त प्रमाणनकर्ता प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया गया।

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का अधिग्रहण

VI.33 अगस्त 2018 में, भारत सरकार ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को यह सूचित किया कि उक्त बैंक में उसकी शेयरधारिता को 50 प्रतिशत से नीचे लाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है, और इसके द्वारा सरकार ने प्रबंध नियंत्रण का त्याग किया। सरकार ने बैंक के प्रवर्तक के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड (एलआईसी) द्वारा नियंत्रक हिस्से के अधिग्रहण को भी अनुमोदन दिया। एलआईसी ने ₹216.24 बिलियन की पूंजी लगाकर 21 जनवरी 2019 को अधिग्रहण पूर्ण किया। इसके पश्चात रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामकीय प्रयोजनों से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया।

देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समामेलन

VI.34 सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का समेकन करने की दृष्टि से भारत सरकार ने "विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में समामेलन योजना, 2019" को मंजूरी दी,

जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा अंतरिती बैंक और विजया बैंक और देना बैंक अंतरणकर्ता बैंक के रूप में हैं। उक्त योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू की गई।

इनफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फायनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएल एण्ड एफएस) तथा इसकी समूह-संस्थाओं में एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

VI.35 राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के 25 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा वित्तीय संस्थाओं पर एनसीएलएटी की पूर्व अनुमति के बगैर आईएल एण्ड एफएस या इसकी समूह संस्थाओं के खातों को 'एनपीए' के रूप में वर्गीकृत करने पर लगी रोक के आलोक में, बैंकों तथा एआईएफआई को 24 अप्रैल 2019 के परिपत्र द्वारा सूचित किया गया कि वे अपनी लेखा-टिप्पणियों में उस राशि का प्रकटीकरण करें जो आय निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड के अनुसार एनपीए हो, लेकिन जिसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत न किया गया हो और तदनुरूप आईआरएसी मानदंडों का अनुसरण करते हुए प्रावधानीकरण न किया गया हो। एनसीएलएटी के 2 मई 2019 के आदेश द्वारा पहले के आदेशों को हटाए जाने के बाद ये अनुदेश वापस ले लिए गए।

शाखा प्राधिकार नीति को युक्तिसंगत बनाना – आरआरबी

VI.36 शाखा प्राधिकार नीति को युक्तिसंगत बनाने संबंधी 31 मई 2019 के संशोधित अनुदेशों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए मौजूद बैंकिंग आउटलेट (बीओ) की अवधारणा संबंधी अनुदेशों को आरआरबी के लिए भी लागू किया गया है। संशोधित अनुदेशों के अनुसार, आरआरबी टिअर 1 से 4 केंद्रों (2011 की जनगणना के अनुसार) में केवल पूर्व अनुमोदन के साथ शाखाएं खोल सकते हैं परंतु इसके लिए उन्हें निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे।

वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ़) - संशोधन

VI.37 एलईएफ पर 3 जून 2019 के परिपत्र ने 1 दिसंबर 2016 और 1 अप्रैल 2019 के पहले के परिपत्रों को हटाकर उनका स्थान लिया। एक्सपोजर तथा संकेंद्रण जोखिम को और बेहतर ढंग से पहचानने के लिए तथा इस फ्रेमवर्क को अंतरराष्ट्रीय मानकों के समान बनाने के लिए इस परिपत्र में निम्नलिखित संशोधन शामिल किए गए: (i) सरकार से संबद्ध संस्थाओं को संबंधित प्रतिपक्षकारों के समूह की परिभाषा से बाहर करना यदि वे अन्यथा संबद्ध न हों, (ii) ऐसी संस्थाओं के लिए जहां किसी बैंक का प्रत्येक संस्था में एक्सपोजर अपने पात्र पूंजी आधार के 5 प्रतिशत से अधिक हो, उनके लिए 1 अप्रैल 2020 से संबद्ध प्रतिपक्षकारों की परिभाषा में परस्पर आर्थिक निर्भरता मानदंड की शुरुआत, और (iii) सामूहिक निवेश उपक्रम, प्रतिभूतीकरण माध्यम तथा अन्य संरचनाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकारों के निर्धारण में आर-पार दृष्टि वाले नज़रिए (एलटीए) का अनिवार्य प्रयोग। इसके अलावा, एक संक्रमणकालीन उपाय के तौर पर, 31 मार्च 2020 तक बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क की परिधि से गैर-केंद्रित समाशोधित डेरिवेटिव को बाहर रखा गया है। साथ ही, एलईएफ के प्रयोजन से, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण विदेशी वैश्विक बैंकों (जी-एसआईबी) की भारतीय शाखाओं को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक बैंकों के रूप में नहीं माना जाएगा (बॉक्स VI.2)।

बैंकों द्वारा निवेश संविभाग (पोर्टफोलियो) के वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड – परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों की बिक्री

VI.38 बैंकों द्वारा निवेश संविभाग (पोर्टफोलियो) के वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड के बारे में वर्तमान मास्टर परिपत्र के अनुसार निदेशक मंडल के अनुमोदन से एचटीएम में/से निवेश में तब्दीली की अनुमति वर्ष में एक बार दी जा सकती है। यह तब्दीली सामान्यत: लेखा वर्ष की शुरुआत में की जा सकती है और इसके बाद लेखा वर्ष के शेष भाग के दौरान एचटीएम में/से तब्दीली नहीं की जा सकेगी। रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्टतया अनुमति दिए जाने पर यह शर्त लागू नहीं होगी। यह निर्णय लिया गया कि 05 प्रतिशत की निर्धारित सीमा (कैप) में शामिल किए जाने से पहले से छूट प्राप्त पाँच तरह के लेन-देन के अलावा संबंधित राज्य सरकार द्वारा राज्य विकास ऋण (एसडीएल) की पुन: खरीद को भी छूट प्रदान की जाएगी।

वित्तीय समावेशन – बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता – मूलभूत बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)

VI.39 बीएसबीडीए से संबद्ध सुविधाओं की समीक्षा की गई और 10 जून 2019 के परिपत्र के माध्यम से विशिष्ट सुधार किए गए हैं। बैंकों द्वारा अनुमत न्यूनतम सुविधाओं के अलावा मूल्य-वर्धित सेवाएं प्रभार सहित या उनके बिना उपलब्ध कराई जा

बॉक्स VI.2
01 अप्रैल 2019 से वृहत एक्सपोज़र फ्रेमवर्क (एलईएफ) का कार्यान्वयन

वैश्विक वित्तीय संकट से मालूम होता है कि बैंक अपनी बहियों और परिचालनों में एकल प्रतिपक्षकारों या संबद्ध प्रतिपक्षकार समूहों में एक्सपोज़र की माप, समुच्चयन और नियंत्रण हमेशा दृढ़ता से नहीं करते। रिज़र्व बैंक ने व्यावहारिक प्रगतिशील कदम उठाते हुए बहुत पहले 1989 में ही एक्सपोज़र मानदंड निर्धारित करते हुए विवेकसम्मत विनियम लागू किए हैं। एक्सपोज़र मानदंडों के अंतर्गत, एकल उधारकर्ता एवं उधारकर्ता समूहों में बैंक के एक्सपोज़र को क्रमशः पूंजीगत निधि (टिअर 1 + टिअर 2 पूंजी) के 15 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत तक सीमित किया गया। मानदंड में कतिपय क्षेत्रों जैसे पूंजी बाजार एक्सपोज़र, एनबीएफसी को एक्सपोज़र एवं अंतर-समूह एक्सपोज़र के लिए सीमा भी निर्धारित किया है।

वृहत एक्सपोज़र के मामले में व्यापक रूप से भिन्न राष्ट्रीय विनियमों में अभिसरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने अप्रैल 2014 में 'वृहत एक्सपोज़र की माप एवं नियंत्रण हेतु पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क' के संबंध में मानक जारी किए हैं। रिज़र्व बैंक ने इन मानकों को भारत में बैंकों पर समुचित रूप से अपनाने का निर्णय लिया तथा, तदनुसार, दिसंबर 2016 में बैंकों के वृहत एक्सपोज़र के संबंध में अनुदेश जारी किए गए, जिसके कार्यान्वयन की तारीख 01 अप्रैल 2019 रखी गई।

समय सीमा एवं प्रमुख विशेषताएं

वृहत एक्सपोज़र फ्रेमवर्क (एलईएफ) के संबंध में दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र के माध्यम से संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए थे जो पूर्व में जारी परिपत्रों को शामिल करते हुए उसका अधिक्रमण करता है। संशोधित एलईएफ 01 अप्रैल 2020 से संबद्ध प्रतिपक्षकार समूह का पता लगाने के लिए आर्थिक अंतरनिर्भरता मानदंड लागू करता है, सरसरी दृष्टिकोण अपनाने का अधिकार देता है, और सरकार से संबद्ध संस्थाओं को संबद्ध प्रतिपक्षकार समूह की परिभाषा में शामिल नहीं करता है, यदि अन्यथा न संबद्ध हो। यह दिशा-निर्देश भारतीय फ्रेमवर्क को बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय कार्यप्रणालियों के समरूप बनाता है और संकेन्द्रण जोखिम की पैमाइश, समुच्चयन तथा निगरानी में सुधार करता है। एलईएफ की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- एकल उधारकर्ता की एक्सपोज़र सीमा को टिअर I पूंजी के 20 प्रतिशत तक सीमित किया है जिसे बैंकों के बोर्ड के अनुमोदन से अपवादात्मक परिस्थितियों में टिअर I पूंजी के 25 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है।
- संबद्ध प्रतिपक्षकार समूह की एक्सपोज़र सीमा को टिअर I पूंजी के 25 प्रतिशत तक सीमित किया है।
- फ्रेमवर्क में आवश्यक है कि नियंत्रण मानदंड के आधार पर संबद्ध प्रतिपक्षकार समूह का पता लगाया जाए, जो स्वामित्व, मतदान अधिकार, मतदान करार, किसी संस्था के प्रशासनिक, प्रबंधन या पर्यवेक्षी समूह की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी पर पर्याप्त प्रभाव एवं वरिष्ठ प्रबंधन पर पर्याप्त प्रभाव जैसे कारकों पर आधारित हो। इसके अतिरिक्त, बैंकों को चाहिए कि वे 01 अप्रैल 2020 से संबद्ध प्रतिपक्षकार समूह का पता लगाने में आर्थिक अंतरनिर्भरता मानदंड शामिल करें।
- अंतरबैंक एक्सपोज़र को टिअर I पूंजी के 25 प्रतिशत तक सीमित करने के साथ वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जी-एसआईबी) में एक्सपोज़र को गंभीर रूप से सीमित किया है; फ्रेमवर्क के अंतर्गत विदेशी जी-एसआईबी की भारतीय शाखाओं को जी-एसआईबी के रूप में नहीं माना जाएगा तथा अंतरबैंक एक्सपोज़र सीमा, विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं के समुद्रपारीय शाखाओं/अनुषंगियों सहित उनके प्रधान-कार्यालय में एक्सपोज़र पर भी लागू होगी।
- सभी प्रकार की एनबीएफसी की एक्सपोज़र सीमा को टिअर I पूंजी के 15 प्रतिशत तक सीमित किया है।
- केन्द्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए अर्हताप्राप्त केन्द्रीय प्रतिपक्षकारों (क्यूसीसीपी) में समाशोधन संबंधी एक्सपोज़र को फ्रेमवर्क से छूट प्राप्त है।
- फ्रेमवर्क में सरसरी दृष्टिकोण अपनाने पर विचार किया गया है ताकि म्युचुअल फंड्स तथा प्रतिभूतीकरण जैसी संरचनाओं के जरिए प्रतिपक्षकारों में एक्सपोज़र का समुच्चयन किया जा सके ।
- ऋण जोखिम कम करने (सीआरएम) तथा ऋण संपरिवर्तन कारकों (सीसीएफ) के प्रयोग की अनुमति के जरिए एक्सपोज़र मापन को बासेल III विनियमों के समरूप किया गया है।
- बैंक उपयुक्त पूंजी आधार का परिकलन करने के लिए बासेल III दिशा-निर्देशों के अनुरूप वर्ष के दौरान पूंजी अंतर्वेशन और तिमाही लाभ की गणना कर सकता है।
- सरकार से संबद्ध संस्थाओं को संबद्ध प्रतिपक्षकार समूह की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है, यदि अन्यथा न संबद्ध हो (या तो नियंत्रण मानदंड एवं/या आर्थिक अंतरनिर्भरता मानदंड द्वारा, जो 01 अप्रैल 2020 से लागू है)।
- गैर-केन्द्रीय समाशोधित डेरिवेटिव्स को 31 मार्च 2020 तक इस फ्रेमवर्क से छूट प्राप्त है।

सकती हैं। उपलब्ध कराई जाने वाली इन अतिरिक्त सुविधाओं के कारण कोई खाता गैर-बीएसबीडी नहीं माना जाएगा। बैंकों को उपभोक्ता से यह घोषणा-पत्र प्राप्त करना होगा कि किसी अन्य बैंक में उनका दूसरा बीएसबीडी नहीं है। ये अनुदेश 1 जुलाई 2019 से प्रभावी होगा।

फिनटेक संबंधी गतिविधियां और विनियामकीय पहल

VI.40 फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग से संबंधित आईआरटीजी (अध्यक्ष : श्री सुदर्शन सेन) की 08 फरवरी 2018 को जारी रिपोर्ट की प्रमुख अनुसंशाओं में से एक यह थी कि सुपरिभाषित क्षेत्र और अवधि के अंतर्गत "विनियामकीय सैंडबॉक्स/नवोन्मेष केंद्र" के लिए फ्रेमवर्क की स्थापना की जाए और वित्तीय क्षेत्र के विनियामक अपेक्षित विनियामकीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। 'विनियामकीय सैंडबॉक्स को सक्षम बनाने वाले फ्रेमवर्क' के मसौदे को हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट में 18 अप्रैल 2019 को डाला गया। प्राप्त हुए फीडबैक की वर्तमान में जांच जारी है और संबंधित फ्रेमवर्क को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

बासेल III के अंतर्गत पूंजी विनियमन – बैंकों के लिए लिवरेज अनुपात लागू करना

VI.41 बासेल III मानदंडों की अनुरूपता की ओर कदम बढ़ाने के लक्ष्य के साथ 28 जून 2019 को अनुदेश जारी किए गए, जिनमें बैंकों को सूचित किया गया कि घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के लिए न्यूनतम लिवरेज अनुपात 4 प्रतिशत होगा और अन्य बैंकों के लिए यह अनुपात 3.5 प्रतिशत होगा। लिवरेज अनुपात के साथ में पूंजीगत उपाय तथा एक्सपोजर उपाय - दोनों की घोषणा तिमाही के अंत में की जानी होगी। हालांकि, बैंकों को न्यूनतम लिवरेज अनुपात की अपेक्षाओं को हर समय पूर्ण करना होगा। ये दिशानिर्देश 01 अक्तूबर 2019 से प्रारंभ हो रही तिमाही से प्रभावी होंगे।

बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) के तहत बैंक/बैंकिंग केंद्र (बीओ) के विवरण संबंधी रिपोर्ट भेजने के प्रपत्र में संशोधन

VI.42 भारत स्थित सभी बैंकिंग केंद्रों/आउटलेटों (बीओ) / बैंक के कार्यालयों की निर्देशिका (डायरेक्टरी) से संबंधित मास्टर ऑफिस फाइल (एमओएफ) रिज़र्व बैंक द्वारा संधारित की जाती है। इस फाइल के माध्यम से मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) कोड आबंटित किए जाते हैं। एमओएफ को वेब-आधारित नई रिपोर्टिंग प्रणाली नामत: सीआईएसबीआई (https://cisbi.rbi.org.in) से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें सिर्फ एक ही प्रपत्र होता है। पहले की समस्त सूचनाओं को सीआईएसबीआई में अंतरित कर दिया गया है और आगे से सभी संस्थाएं/बैंक नई प्रणाली के तहत रिपोर्ट करेंगी। नई प्रणाली में बैंकों/एआईएफआई के पूर्ण विवरणों को समय दर्शाते हुए संधारित करने का प्रावधान किया गया है।

एकमुश्त और दीर्घावधिक वित्त (डब्ल्यूएलटीएफ) बैंक

VI.43 वर्ष 2016-17 के पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (5 अप्रैल 2016) में यह घोषणा की गई थी कि रिज़र्व बैंक डब्ल्यूएलटीएफ बैंकों जैसे अन्य विशेषीकृत बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने की संभावनाओं का पता लगाएगा। इस विषय पर चर्चा पत्र रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 07 अप्रैल 2017 को डाला गया। प्राप्त हुए सुझावों/फीडबैक पर विचार करने और बहुराष्ट्रीय बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकला कि डब्ल्यूएलटीएफ बैंकों के लिए टिकाऊ एवं वहनीय मॉडल तैयार करने के मार्ग में बहुत सी चुनौतियां हैं। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव का अनुसरण नहीं किया जाएगा।

2019-20 की कार्य-योजना

VI.44 विभाग विवेकपूर्ण विनियामकीय फ्रेमवर्क को प्रचलित बीसीबीएस तथा वैश्विक मानकों/ प्रथाओं के अनुरूप बनाने का कार्य करना जारी रखेगा, जिसमें आवश्यक वैधानिक संशोधनों के अधीन बैंकों के लिए इंड-एएस का कार्यान्वयन करना शामिल है। मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क को सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप बनाने के लिए रिज़र्व बैंक बैंकों के कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देशों का प्रारूप जारी करेगा। इसके अतिरिक्त, परिचालनगत जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता की गणना के लिए संशोधित मानकीकृत उपागम, तथा ऋण जोखिम पर संशोधित दिशा-निर्देशों का प्रारूप जारी किया जाएगा। प्रतिभूतीकरण तथा बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया जाएगा।

VI.45 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) के लिए अंतिम विवेकसम्मत विनिमय जारी किए जाएंगे, जिसमें

एक्सपोजर मानदंडों पर संशोधित अनुदेश, निवेश मानदंड, जोखिम प्रबंधन संरचना तथा बासेल **III** पूंजी फ्रेमवर्क के चुनिंदा तत्व शामिल होंगे। एआईएफआई के लिए इंड-एएस का कार्यान्वयन आस्थगित किया गया है तथा उसे एससीबी के लिए कार्यान्वयन के साथ ही लागू किया जाएगा। उभरते हुए फिनटेक क्षेत्र में विनियामकीय सैंडबॉक्स को परिचालित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

VI.46 बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष की अपेक्षाओं तथा उसे बनाए न रखने पर दंड संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जाएगी। ब्याज समतुल्यीकरण योजना से संबंधित दावों के निपटान के लिए एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्लेटफार्म में स्वचालित डेटा प्रवाह का प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रणाली में आरंभिक ऋण जोखिम का निदान करने हेतु समष्टि विवेकपूर्ण नीतियों के कार्यान्वयन पर एक चर्चा-पत्र जारी किया जाएगा। बड़े उधारकर्ताओं को बाजार तंत्र के माध्यम से ऋण आपूर्ति करने हेतु एक संरचना लागू करने के प्रयोजन से बैंकों / वृहत् ऋणों पर सूचना का केंद्रीय निधान (सीआरआईएलसी) से मिले डेटा के आधार पर अध्ययन किया जाएगा। धनशोधन निवारण नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत व्यक्तियों के लिए वीडियो-आधारित केवाईसी प्राप्त करने हेतु बैंक के ग्राहकों की डिजिटल ऑनबोर्डिंग की सुविधा दी जाएगी।

सहकारी बैंक: सहकारी बैंक विनियमन विभाग (डीसीबीआर)

VI.47 रिज़र्व बैंक सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित विनियामकीय और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बना कर इस क्षेत्र को मजबूत बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाता रहा है। इस संदर्भ में, 2018-19 में सहकारी बैंकों के विवेकपूर्ण विनियमन के लिए जिम्मेदार सहकारी बैंक विनियमन विभाग (डीसीबीआर) ने अनेक कदम उठाए हैं।

वर्ष 2018-19 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

जम्मू और कश्मीर में बिना लाइसेंस वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी)

VI.48 जम्मू और कश्मीर राज्य में तीन अलाइसेंसीकृत डीसीसीबी के संबंध में राज्य सरकार, भारत सरकार और नाबार्ड द्वारा एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। तदनुसार, राज्य सरकार ने मार्च 2018 में ₹2.56 बिलियन का अपना हिस्सा प्रदान किया (उक्त को आगे प्रेषण के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार के सहकारी विभाग में रखा गया)। भारत सरकार / राज्य सरकार / नाबार्ड द्वारा मंजूर किए गए पुनरुत्थान पैकेजों को लागू करने के लिए जम्मू और कश्मीर सहकारी समितियां संशोधन अध्यादेश, 2018 की धारा 30-बी की उप-धारा (1)(ए) के अनुसार राज्य सरकार ने इन तीन बिना लाइसेंस वाले बैंकों के व्यावसायिक बोर्डों के गठन को मंजूरी दी है। इन डीसीसीबी द्वारा अपेक्षित सीआरएआर को हासिल करने की शर्त को पूरा किए जाने के बाद इन तीनों डीसीसीबी को लायसेंस जारी करने पर विचार किया जाएगा।

यूसीबी का एसएफबी में स्वेच्छा से परिवर्तन

VI.49 यूसीबी पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति (एचपीसी) (अध्यक्ष: श्री आर गांधी) ने अन्य बातों के साथ-साथ बड़े बहु-राज्यीय यूसीबी का संयुक्त शेयर कंपनी (ज्वाइंट स्टॉक कंपनी) में, तथा कतिपय मानदंडों को पूर्ण करने वाले एससीबी में स्वेच्छा से परिवर्तन करने की सिफारिश की थी। ₹500 मिलियन की न्यूनतम निवल मालियत वाले यूसीबी, जो 9 प्रतिशत का सीआरएआर बनाए रखते हों तथा अन्य पात्रता मानदंडों को पूर्ण करते हों, के लिए स्वैच्छिक परिवर्तन की अनुमति देने वाले दिशा-निर्देश 27 नवंबर 2018 को जारी किए गए।

शहरी सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीए) का कार्यान्वयन

VI.50 दिनांक 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार 1545 यूसीबी में से 1436 यूसीबी ने सीबीएस लागू कर दिया है।

सहकारी बैंकों को अनुसूचित करना, लाइसेंस प्रदान करना और विलय

VI.51 त्रिपुरा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिपुरा तथा दिल्ली राज्य सहकारी बैंक को क्रमशः जनवरी 2019 और मई 2019 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया। 2018-19 के दौरान विभाग द्वारा यूसीबी के विलय के छह प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई।

इनमें से विलय के दो प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया, जिन पर संबंधित सहकारी समितियों के पंजीयकों का अंतिम अनुमोदन प्रतीक्षित है, तथा एक प्रस्ताव को नामंजूर किया गया। शेष तीन विलय प्रस्ताव फिलहाल प्रक्रियाधीन हैं। समीक्षाधीन अवधि में चार कमजोर शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस निरस्त किए गए।

वर्ष 2019-20 की कार्य-योजना

VI.52 वर्ष 2019-20 की महत्वपूर्ण गतिविधियों में यूसीबी के लिए पर्यवेक्षी कार्य-योजना की रूपरेखा पर संशोधित दिशा-निर्देश, यूसीबी क्षेत्र में समेकन को बढ़ावा देने के लिए नीति निरूपण और छत्र संगठन (यूओ) की स्थापना शामिल हैं (बॉक्स VI.3)। जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफ़सी (एनबीएफ़सी-एनडी) के तौर पर यह यूओ स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसाइटी फेडरेशन लिमिटेड (एनएएफ़सीयूबी) को विनियामक अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

एनबीएफसी : गैर बैंकिंग विनियमन विभाग (डीएनबीआर)

VI.53 एनबीएफसी वाणिज्यिक बैंकों के पूरक के रूप में ऋण उपलब्ध कराने तथा विशिष्ट क्षेत्रों को सेवा देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग (डीएनबीआर) को एनबीएफसी क्षेत्र के विनियमन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वर्ष 2018-19 की कार्य-योजना - कार्यान्वयन की स्थिति

एकल प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी)

VI.54 एसपीडी को उनके विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) ग्राहकों को उनकी गैर-प्रमुख गतिविधियों के एक भाग के रूप में 27 जुलाई 2018 से विदेशी मुद्रा सेवाओं की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि वे विवेकसम्मत विनियमों का अनुपालन करें और रिजर्व बैंक से विनिर्दिष्ट रूप से अनुमति प्राप्त करें।

एनबीएफसी : प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए न्यूनतम धारिता अवधि (एमएचपी)

VI.55 एनबीएफसी को उनकी पात्र आस्तियों को प्रतिभूतिकृत / निर्दिष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पांच वर्ष से अधिक मूल परिपक्वता वाले ऋणों के संबंध में नवंबर 2018 में मूल एनबीएफसी को एमएचपी अपेक्षा में छूट दी गई। यह एमएचपी छूट छह मासिक किस्तों अथवा दो तिमाही किस्तों (यथा लागू) की चुकौती की प्राप्तियों के संबंध में है, बशर्ते कि ऐसे प्रतिभूतीकरण निर्दिष्ट लेनदेन के लिए विवेकपूर्ण अपेक्षा, कि न्यूनतम धारण अपेक्षा (एमआरआर) प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋण के बही मूल्य के 20 प्रतिशत अथवा निर्दिष्ट की जाने वाली आस्तियों के नकद प्रवाहों के 20 प्रतिशत होगी, को पूर्ण किया जाए। यह व्यवस्था प्रारंभ में 6 माह की अवधि अर्थात् मई

बॉक्स VI.3
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए छत्र संगठन की स्थापना

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के पास पूंजीगत निवेश जुटाने के अवसर कम हैं, क्योंकि वे न तो पब्लिक इश्यू के माध्यम से पूंजी जुटा सकते हैं, न ही प्रीमियम पर शेयर जारी कर सकते हैं। उनके पास अल्पकालिक चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन भी सीमित हैं, क्योंकि रिज़र्व बैंक के चलनिधि सहायता विंडो तक केवल अनुसूचित बैंकों की ही सीधी पहुंच है।

एक छत्र संगठन (यूओ) के रूप में सहकारी घनिष्ठता और पारस्परिक सहायता प्रणाली इस क्षेत्र की गतिशीलता में योगदान करेगी, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय अनुभव से सिद्ध हुआ है। छत्र संगठन (यूओ) से यह अपेक्षित होगा कि वह सदस्य बैंकों को चलनिधि और पूंजी सहायता उपलब्ध कराएगा। यूओ से यह भी अपेक्षित होगा कि वह सदस्यों द्वारा साझा उपयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) इन्फ्राट्रक्चर की स्थापना करेगा, ताकि वे अपेक्षाकृत कम लागत पर अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ा सकें।

शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए एक छत्र संगठन का विचार सबसे पहले 2006 में यूसीबी के पूंजी संवर्धन के लिए रिज़र्व बैंक के कार्य दल (अध्यक्ष: श्री एन. एस. विश्वनाथन) द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद, 2008 में रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए छत्र संगठन तथा पुनरुत्थान निधि की स्थापना के संबंध में कार्य दल (अध्यक्ष: श्री वी. एस. दास) का गठन किया। नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष श्री वाई. एच. मालेगाम) ने भी वर्ष 2011 में एक छत्र संगठन की स्थापना की सिफारिश की थी, तथा 2015 में शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने भी इसका समर्थन किया था।

2019 तक के लिए की गई थी, जिसे आगे 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ाया गया है।

एमएसएमई के लिए ब्याज छूट योजना

VI.56 भारत सरकार ने एमएसएमई के लिए ब्याज छूट योजना, 2018 को सभी एनबीएफसी- एनडी-एसआई के लिए लागू किया है। उन्हें सूचित किया गया कि वे योजना को लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करें तथा नोडल कार्यान्वयन एजेंसी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से संपर्क करें।

एनबीएफसी को सुसंगत बनाना

VI.57 आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी), ऋण कंपनियों (एलसी) और निवेश कंपनियों (आईसी) को शासित करने वाले विनियमों को सुसंगत बनाया गया तथा संस्था आधारित विनियमन करने के बजाय गतिविधि आधारित विनियमन की ओर जाने की दृष्टि से 22 फरवरी 2019 से इनका एनबीएफसी-निवेश और ऋण कंपनियां (एनबीएफसी- आईसीसी) नामक एक नई श्रेणी में विलय किया गया, ताकि एनबीएफसी को अधिक परिचालनगत स्वतंत्रता उपलब्ध कराई जा सके।

एआरसी के प्रवर्तकों के लिए उपयुक्त और यथोचित मानदंड

VI.58 रिजर्व बैंक ने एआरसी को मजबूत बनाने के लिए 25 अक्तूबर 2018 को एआरसी के प्रायोजकों के लिए उपयुक्त और यथोचित मानदंडों के बारे में निदेश जारी किए।

आस्ति पुनर्रचना कंपनियों (एआरसी) द्वारा अन्य एआरसी की आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति

VI.59 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 में संशोधन के मद्देनजर एआरसी को अन्य एआरसी से आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि वे कतिपय शर्तों को पूरा करें।

प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-II के रूप में पात्र एनबीएफसी - एनडी - एसआई)

VI.60 रिजर्व बैंक ने 16 अप्रैल 2019 से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशियां स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी -आईसीसी को एडी श्रेणी-II का लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दी है, ताकि जनता के रोजमर्रा के व्यापारेत्तर चालू खाता लेनदेन की सेवाओं तक पहुंच और कुशलता बढ़ाई जा सके। पात्र एनबीएफ़सी को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा तथा रिज़र्व बैंक से विशेष अनुमति लेनी होगी।

एनबीएफसी के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति

VI.61 एनबीएफसी क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के संवर्धन हेतु ₹50 बिलियन से अधिक आस्ति आकार वाले एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति करें, जिसकी भूमिका और जिम्मेदारियां विनिर्दिष्ट हों। उनसे अपेक्षित होगा कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य करे ताकि जोखिम प्रबंधन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।

एनबीएफसी के लिए चलनिधि फ्रेमवर्क

VI.62 एनबीएफसी के आस्ति - देयता प्रबंधन (एएलएम) फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए जमा स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी–एनडी-एसआई) सहित ₹1 बिलियन और उससे अधिक आस्ति आकार वाले एनबीएफसी तथा आस्ति आकार पर ध्यान न देते हुए सभी एनबीएफसी के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई तथा एनबीएफसी के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के प्रारूप को मई 2019 में जनता की टिप्पणियों के लिए रिज़र्व बैंक वेबसाइट पर डाला गया (बॉक्स VI.4)

2019-20 के लिए कार्ययोजना

प्रकटीकरण अपेक्षाएं

VI.63 एनबीएफसी के लिए अधिक पारदर्शिता लाने और एक प्रभावी तथा सुदृढ़ प्रकटीकरण फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने की दृष्टि से मौजूदा प्रकटीकरण अपेक्षाओं की समीक्षा की जाएगी।

एनबीएफसी की श्रेणियों को सुसंगत बनाना

VI.64 एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों के लिए विनियामकीय ढांचे को सुसंगत बनाने का कार्य, जो वर्ष के दौरान प्रारंभ किया गया था, को एनबीएफसी की श्रेणियों की संख्या में कमी लाने की दृष्टि से आगे जारी रखा जाएगा, जिससे गतिविधि आधारित विनियमन का बेहतर कार्यान्वयन किया जा सके।

एआरसी के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता (एफपीसी)

VI.65 एआरसी को हितधारकों के साथ व्यवहार करते समय उचित प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एफपीसी के रूप में सिद्धान्तों का एक सेट जारी किया जाएगा।

4. वित्तीय मध्यस्थता करने वाली संस्थाओं का पर्यवेक्षण

बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस)

VI.66 बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) को ऑफ-साइटनिगरानी तथा ऑन-साइट निरीक्षणों से प्राप्त पर्यवेक्षी सूचना के आधार पर एससीबी (आरआरबी को छोड़कर), एलएबी, भुगतान बैंकों (पीबी), एसएफबी, साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) एवं एआईएफआई के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वर्ष 2018-19 के लिए कार्य योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिशें

VI.67 फरवरी 2018 में गठित विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री वाई.एच. मालेगाम) ने रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन की तुलना में बैंकों द्वारा आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण में अत्यधिक

बॉक्स VI.4

एनबीएफसी के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क

सार्वजनिक निधियों तक पहुँच रखने एवं प्रणालीगत जोखिमों के प्रभावों के साथ ऋण मध्यस्था में भागीदारी के मामले में एनबीएफसी ने शेष वित्तीय क्षेत्र के साथ उल्लेखनीय संपर्क स्थापित किया है। इसकी वजह से एनबीएफसी के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की गई।

मौजूदा एएलएम दिशा-निर्देश जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाले उन एनबीएफसी जिनका आस्ति आकार ₹1 बिलियन और उससे अधिक है, और जमाराशि स्वीकार करने वाले वैसे एनबीएफसी पर लागू है जिनका जमाराशि आधार ₹200 मिलियन और उससे अधिक है:

- एएलएम फ्रेमवर्क के तीन स्तंभों यथा, एएलएम सूचना प्रणाली, एएलएम संगठन {आस्ति-देयता समिति (एएलसीओ) के गठन, इसके संविधान आदि सहित} और एएलएम प्रक्रियाओं से संबंधित अनुदेश।
- ढांचागत एवं अल्पावधि गतिशील चलनिधि तथा ब्याज दर संवेदनशीलता की निगरानी।
- 30/31 दिन के टाइम बकेट पर मुख्य ध्यान केंद्रित करते हुए परिपक्वता अंतराल का विश्लेषण जिसमें ऋणात्मक अंतराल नकदी बहिर्वाह का 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- ₹5 बिलियन और उससे अधिक के आस्ति आकार वाले सीआईसी को आस्ति एवं देयताओं के परिपक्वता स्वरूप का खुलासा करना।

प्रस्तावित बदलाव

ए. चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए सामान्य फ्रेमवर्क का संवर्धन

i) **एएलएम दिशा-निर्देश :** को बैंकों पर लागू एएलएम दिशा-निर्देशों की तर्ज पर इसे फिर से नया रूप दिया गया है, जिसमें (ए) तुलन-पत्रेत्तर और आकस्मिक देयताएं; (बी) दबाव परीक्षण; (सी) आकस्मिक निधीयन योजना; (डी) अंतर-समूह निधि अंतरण; (ई) संपार्श्विक स्थिति प्रबंधन; और (एफ) वित्त पोषण का विविधीकरण शामिल हैं।

ii) **परिपक्वता बकेट्स में संशोधन किया गया :** परिपक्वता बकेट्स को तीन छोटे हिस्सों में बांटकर 1 से 30/31 दिनों के बकेट को 1-7 दिन, 8-14 दिन और 15 से 30 दिन कर दिया गया है, जिसमें संचयी अंतराल सीमा संबंधित बहिर्वाह की क्रमश: 10 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत निर्धारित की गई हैं। इससे नकदी प्रवाह दबाव के प्रारंभिक चरण में ही पकड़ में आ जाएगा और समय से इसका निराकरण होने की उम्मीद है।

iii) **चलनिधि जोखिम निगरानी के साधन :** एनबीएफसी से अपेक्षित होगा वे इनकी निगरानी करें (ए) निधीयन का संकेंद्रण (प्रतिपक्षकार, लिखत, मुद्रा द्वारा); (बी) उपलब्ध भार-रहित आस्तियां (जिसे धन जुटाने के लिए संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है); और (सी) बाजार संबंधी निगरानी सूचना (इक्विटी की कीमतें, जुटाए गए कर्ज पर कूपन, नियामकीय जुर्माना और इसी तरह के अन्य विषय)।

iv) **चलनिधि जोखिम प्रबंधन के प्रति स्टॉक दृष्टिकोण :** एनबीएफसी के बोर्ड से अपेक्षित है कि वे महत्वपूर्ण अनुपात की पहचान करें और आंतरिक रूप से निर्धारित अधिकतम सीमा (सांकेतिक सूची में कुल आस्तियों की तुलना में अल्पकालिक देयता, दीर्घकालिक आस्तियों की तुलना में अल्पकालिक देयता; कुल आस्तियों की तुलना में एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता की प्रक्राम्य जमा-प्रमाणपत्र (एनसीडी); कुल देयताओं की तुलना में अल्पकालिक देयताएँ; कुल आस्तियों की तुलना में दीर्घकालिक आस्तियां शामिल हो सकती हैं) के अनुसार उनकी निगरानी करें।

बी. बड़ी एनबीएफसी के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात का प्रारंभ।

प्रस्तावित एलसीआर फ्रेमवर्क जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी तथा ₹50 बिलियन और उससे अधिक के आस्ति आकार वाले एनबीएफसी-एनडी-एसआई पर लागू होगा।

(जारी...)

- एलसीआर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

$$\frac{\text{उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) का स्टॉक}}{\text{आगामी 30 कलैंडर दिवसों में कुल निवल नक़द प्रवाह}}$$

- एनबीएफसी को 1 अप्रैल, 2020 से न्यूनतम 60 प्रतिशत एलसीआर बनाए रखना होगा और धीरे-धीरे इसे बराबर सोपान में तब तक बढ़ाना होगा जब तक कि यह 1 अप्रैल, 2024 तक 100 प्रतिशत के अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच जाता है, और 1 अप्रैल 2024 से इसे निरंतर न्यूनतम 100 प्रतिशत बनाए रखना होगा।
- दबाव कि स्थिति में अगले 30 दिनों की अवधि के दौरान निवल नकदी बहिर्वाह को कवर करने के लिए एनबीएफसी को एचक्यूएलए रखना होगा।
- एचक्यूएलए की गणना उपयुक्त आस्तियों पर लागू निर्धारित हेयरकट पर आधारित होगी।
- 30 दिनों की अवधि में निवल नकदी बहिर्वाह की गणना के लिए, 15 प्रतिशत तक बहिर्वाह का अधिक अनुमान करके तथा 25 प्रतिशत तक अंतर्वाह का कम अनुमान करके दबाव परिदृश्य तैयार किया जाता है।

भिन्नता; बैंकों में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं (आईटी हस्तक्षेपों सहित); तथा विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षाओं की भूमिका तथा कारगरता की जांच संबंधी अपनी रिपोर्ट जुलाई 2018 में पेश की। जहां कहीं आवश्यक हो वहाँ कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है।

साइबर सुरक्षा

VI.68 छह सहकारी बैंकों सहित सत्तावन बैंकों की सूचना प्रौद्योगिकी की जांच की गई ताकि साइबर सुरक्षा को लेकर उनकी तैयारी के स्तर एवं रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, परामर्शों तथा चेतावनियों के अनुपालन का आकलन किया जा सके। बैंकों की लक्षित विषय-क्षेत्र-संबंधी जांच भी की गई जिसमें उनके द्वारा उपयोग में लाए गए एप्लिकेशन, इनफ्रास्ट्रक्चर तथा प्रणालियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। वर्ष के दौरान, टेबल टॉप अभ्यास के रूप में परिकल्पित परिदृश्यों पर तीन साइबर ड्रिल किए गए ताकि साइबर संकट प्रबंध योजनाओं/ घटना प्रतिक्रिया तंत्र के संबंध में बैंकों के भावी अध्ययनों की जानकारी दी जा सके।

VI.69 वर्ष के दौरान, मुख्य जोखिम संकेतकों में संशोधन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक साइबर जोखिम के रुख तथा बैंकों द्वारा कार्यान्वित साइबर नियंत्रणों की पर्याप्तता का अधिक अचूक मात्रात्मक संकेत दे सकें। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि बोर्ड के सदस्य, वरिष्ठ प्रबंध तंत्र तथा सीएक्सओ (अर्थात मुख्य सूचना अधिकारी, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी तथा मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी) सूचना प्रौद्योगिकी तथा साइबर सुरक्षा में अनिवार्य प्रमाणन लेते हैं।

अन्य गतिविधियां

धोखाधड़ी का विश्लेषण

VI.70 वर्ष 2018-19 में, बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों से संबंधित मामलों की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VI.1) और इसमें शामिल राशि में 73.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, हालांकि यह राशि अधिकाशत: पिछले वर्ष कि घटनाओं से संबंधित थी। घटना की तारीख तथा बैंकों द्वारा उसका पता लगाने के बीच का औसत समय अंतराल 22 महीने था। वर्ष 2018-19 के दौरान रिपोर्ट की गई कुल ₹522 बिलियन की बड़ी धोखाधड़ियों अर्थात ₹1 बिलियन तथा उससे अधिक राशि, के संबंध में औसत समय अंतराल 55 महीने था। बैंक समूहों में पीएसबी में, जिनके बैंक उधार का बाज़ार में सबसे बड़ा हिस्सा है, 2018-19 में रिपोर्ट की गई धोखा धड़ियों में सबसे अधिक धोखाधड़ी हुई है। इनके बाद क्रमशः निजी क्षेत्र के बैंक तथा विदेशी बैंक आते हैं।

VI.71 परिचालन के क्षेत्र के अनुसार अग्रिम से संबंधित धोखाधड़ियों का वर्ष 2018-19 में हुई धोखाधड़ियों में शामिल कुल राशि में बड़ा हिस्सा था, जबकि तुलन पत्रेतर मदों में धोखाधड़ियों का हिस्सा एक वर्ष पहले की तुलना में कम हुआ है (सारणी VI.2)। धोखाधड़ियों की संख्या के संदर्भ में भी अग्रिम से संबंधित धोखाधड़ियां अत्यधिक थीं एवं उनके बाद क्रमशः कार्ड / इंटरनेट संबंधी धोखाधड़ियों तथा जमाराशि संबंधी धोखाधड़ियों की संख्या अधिक थी। कार्ड / इंटरनेट तथा जमाराशि संबंधी धोखाधड़ियां 2018-19 में हुई धोखाधड़ियों के कुल मूल्य का केवल 0.3 प्रतिशत थी।

VI.72 धोखाधड़ी और जालसाजी का हिस्सा सर्वाधिक था और उसके बाद क्रमशः दुर्विनियोजन एवं भरोसा तोड़ने के आपराधिक मामले आते हैं। वर्ष 2018-19 में धोखाधड़ियों की

कुल राशि में से ₹0.10 मिलियन से कम (अर्थात, कम मूल्य की धोखाधड़ियां) राशियों वाली धोखाधड़ियों के मामलों का प्रतिशत केवल 0.1 प्रतिशत रहा।

सीमा-पारीय पर्यवेक्षण

VI.73 रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षी सहयोग के लिए विभिन्न अधिकार क्षेत्रों से 48 बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकरणों के साथ समझौते स्थापित किए। सीमा पारीय पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को मजबूत करने की दृष्टि से वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, तथा आईसीआईसीआई बैंक के लिए मेजबान पर्यवेक्षकों एवं घरेलू विनियामकों के साथ पर्यवेक्षी महाविद्यालयों की बैठकें आयोजित की गईं।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस)

VI.74 जोखिम तथा पूंजी के मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) के अंतर्गत आरबीएस को भारत में परिचालन करने वाले बैंकों के लिए छह पर्यवेक्षी चक्रों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। एसएफ़बी के लिए पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को विकसित किया गया तथा प्रायोगिक तौर पर लागू कर दिया गया। वर्ष के दौरान बैंकों के बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंध तंत्र के लिए संवेदीकरण सत्र संचालित किए गए।

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक (एससीए)

VI.75 रिज़र्व बैंक ने तिमाही अंतरालों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षकों तथा पर्यवेक्षित बैंकों के एससीए के बीच संरचित बैठकों की व्यवस्था स्थापित की है ताकि सूचना के आदान-प्रदान, चिंताओं तथा व्यापक चर्चाओं हेतु पर्यवेक्षकों तथा लेखापरीक्षकों के बीच के संबंध की कारगरता में सुधार लाया जा सके।

सारणी VI.1: धोखाधड़ी के मामले - बैंक समूह–वार

बैंक समूह/ संस्था	2017-18		2018-19	
	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि (₹ मिलियन)	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि (₹ मिलियन)
1	2	3	4	5
सरकारी क्षेत्र के बैंक	2,885	382,608.7	3,766	645,094.3
	(48.8)	*(92.9)*	*(55.4)*	*(90.2)*
निजी क्षेत्र के बैंक	1,975	24,782.5	2,090	55,151.4
	(33.4)	*(6.0)*	*(30.7)*	*(7.7)*
विदेशी बैंक	974	2,560.9	762	9,553.0
	(16.5)	*(0.6)*	*(11.2)*	*(1.3)*
वित्तीय संस्थाएं	12	1,647.0	28	5,534.1
	(0.2)	*(0.4)*	*(0.4)*	*(0.8)*
लघु वित्त बैंक	65	61.9	115	75.2
	(1.1)	*(0.0)*	*(1.7)*	*(0.0)*
भुगतान बैंक	3	9.0	39	21.1
	(0.1)	*(0.0)*	*(0.6)*	*(0.0)*
स्थानीय क्षेत्र बैंक	2	0.4	1	0.2
	(0.0)	*(0.0)*	*(0.0)*	*(0.0)*
कुल	**5,916**	**411,670.4**	**6,801**	**715,429.3**
	(100.0)	***(100.0)***	***(100.0)***	***(100.0)***

नोट : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. उपर्युक्त आंकड़े उक्त अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई ₹0.1 मिलियन तथा उससे अधिक राशि की धोखाधड़ियों के संबंध में है। "शामिल राशि" बैंकों को हुई हानि के समतुल्य नहीं है। कुछ धोखाधड़ियों के मामलों में, उदाहरण के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन में, कोई हानि नहीं भी हो सकती है।

स्रोत : भारतीत रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

सारणी VI.2: धोखाधड़ी के मामले – परिचालन क्षेत्र

परिचालन क्षेत्र	2017-18		2018-19	
	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि (₹ मिलियन)	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि (₹ मिलियन)
1	2	3	4	5
अग्रिम	2,525	225,583.2	3,606	645,481.7
	(42.7)	*(54.8)*	*(53.0)*	*(90.2)*
तुलन पत्रेतर	20	162,876.7	33	55,375.2
	(0.3)	*(39.6)*	*(0.5)*	*(7.7)*
विदेशी मुद्रा लेनदेन	9	14,258.0	13	6,953.8
	(0.2)	*(3.5)*	*(0.2)*	*(1.0)*
कार्ड/ इंटरनेट	2,059	1,095.6	1,866	713.8
	(34.8)	*(0.3)*	*(27.4)*	*(0.1)*
जमाराशियाँ	697	4,622.7	596	1,483.1
	(11.8)	*(1.1)*	*(8.8)*	*(0.2)*
अंतर-शाखा खाते	6	11.9	3	1.1
	(0.1)	*(0.0)*	*(0.0)*	*(0.0)*
नकद	218	403.4	274	555.4
	(3.7)	*(0.1)*	*(4.0)*	*(0.1)*
चेक / मांग ड्राफ्ट, आदि	207	341.2	189	336.6
	(3.5)	*(0.1)*	*(2.8)*	*(0.0)*
समाशोधन खाते, आदि	37	56.2	24	2,088.1
	(0.6)	*(0.0)*	*(0.4)*	*(0.3)*
अन्य	138	2,421.5	197	2,440.5
	(2.3)	*(0.6)*	*(2.9)*	*(0.3)*
कुल	**5,916**	**411,670.4**	**6,801**	**715,429.3**
	(100.0)	***(100.0)***	***(100.0)***	***(100.0)***

नोट : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. उपर्युक्त आंकड़े उक्त अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई ₹0.1 मिलियन और इससे अधिक की धोखाधड़ियों के संबंध में है।

स्रोत : भारतीत रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्य-योजना

VI.76 बैंकों (एससीबी और सहकारी बैंक) एवं एनबीएफ़सी के बीच के प्रणालीगत लिंकेज तथा उनकी परस्पर संबद्धता को समझने के उद्देश्य से पर्यवेक्षी विभागों के कतिपय कार्यों को एकीकृत करने पर विचार किया गया है ताकि (ए) प्रणालीगत जोखिमों को समग्र रूप से समझा जा सके; (बी) प्रभावशाली ऑफ-साइट निगरानी के लिए विभिन्न संस्थाओं में लिंकेज, संक्रामकता एवं जोखिम में बढ़ौती को समझा जा सके; (सी) संस्था-निरपेक्ष विषयगत अध्ययनों पर आधारित प्रणालीगत पूर्व चेतावनी संकेत का पता लगाया जा सके। बैंकों के लिए एक अधुनातन पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क सुनिश्चित करने के लिए समर्पित और विशेषज्ञ अधिकारियों का एक संवर्ग तैयार करने का भी प्रस्ताव है। पर्यवेक्षण के तहत प्रभावी तरीके से जोखिम का पता लगाने और लीवरेजिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेहतर ऑफ-साइट निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

VI.77 वित्तीय स्थिरता के लिए होने वाले खतरों में साइबर जोखिम एक और खतरा बनकर उभरने के मद्देनजर डीबीएस का विचार है कि एससीबी, एफआई तथा सीआईसी के अतिरिक्त सहकारी बैंकों एवं एनबीएफसी का साइबर सुरक्षा संबंधी पर्यवेक्षण किया जाए।

VI.78 आईएफ़आरएस/इंड एएस के कार्यान्वयन के संबंध में विनियामकीय दिशा-निर्देशों के विकास के क्रम में बैंकों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक रिपोर्टिंग पर प्रभाव की समीक्षा की जाएगी तथा उस पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क के अनुरूप बनाया जाएगा एवं उसके साथ एकीकृत किया जाएगा।

VI.79 आरबीएस के अंतर्गत निरीक्षण की आवधिकता एवं कार्यक्रमों, आईटी जांच तथा इस प्रकार के कार्यों को देखने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण रखने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) समाधान (आईसीएमटीएस-एकीकृतअनुपालन प्रबंधन एवं ट्रैकिंग प्रणाली) की परिकल्पना की गई है। उसमें अंतर्निर्मित सुधारात्मक कार्य प्रगति, टाइम ट्रैकिंग, ई-मेल आधारित सूचना एवं चेतावनी, प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट तथा डैशबोर्ड जैसी सामर्थ्य होगा ताकि संपूर्ण प्रगति का आकलन किया जा सके।

VI.80 भारतीय रिज़र्व बैंक धोखाधड़ी निगरानी व्यवस्था को सुधारने तथा आवश्यक सुधारात्मक विनियामकीय तथा पर्यवेक्षी कार्रवाई करने हेतु विभिन्न डेटाबेस तथा सूचना प्रणालियों को परस्पर जोड़ने की संभाव्यता की जांच करने के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा। बैंकों के लिए धोखाधड़ी प्रबंधन फ्रेमवर्क में सुधार करने हेतु : (ए) धोखाधड़ी पर मास्टर निदेश में संशोधन करते हुए अनुभव के आधार पर उसमें नये अनुदेश शामिल किए जाएंगे; (बी) व्यापक स्तर पर की गयी समीक्षाओं के आलोक में बैंकरों के लिए धोखाधड़ी पर कार्यशालाएं आयोजित करते हुए उन्हें धोखाधड़ी की रोकथाम, उसकी त्वरित/सटीक रिपोर्टिंग और अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में संवेदनशील बनाया जाएगा; (सी) धोखाधड़ी रजिस्ट्री को उपयोक्ता-सुगम बनाया जाएगा; और (डी) धोखाधड़ी विश्लेषण-शास्त्र में सुधार किया जाएगा।

सहकारी बैंक : सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस)

VI.81 सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) का प्राथमिक उत्तरदायित्व प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का पर्यवेक्षण करना और सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का निर्माण सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए डीसीबीएस यूसीबी की आवधिक ऑन-साइट निगरानी एवं सतत ऑफ-साइट निगरानी करता है। मार्च 2019 के अंत की स्थिति के अनुसार, देश में 1,542 यूसीबी काम कर रहे थे, जिनमें से 46 यूसीबी की निवल मालियत ऋणात्मक रही और 26 यूसीबी रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अधीन रहे।

2018-19 के लिए कार्य योजना - कार्यान्वयन की स्थिति

यूसीबी को सीबीएस अनुकूल बनाने के प्रयास

VI.82 कतिपय यूसीबी में सीबीएस प्रणाली के लिए टेक्नालॉजिकल प्लैटफ़ार्म को अपनाने के कार्य में विशेषज्ञता के अभाव तथा/ अथवा पूंजीगत अथवा आवर्ती हानि के कारण विलंब हुआ। रिज़र्व बैंक ने उपाय किए हैं तथा ऐसे यूसीबी को पर्याप्त समर्थन देने हेतु राज्य सरकारों के साथ समन्वय भी किया है ताकि वे सीबीएस को कार्यान्वित कर सकें। परिणामस्वरूप, ऋणात्मक निवल मालियत वाले कुछ यूसीबी को छोड़कर उन

सभी यूसीबी ने अब सीबीएस के कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है जो पिछले एक वर्ष तक सीबीएस से लैस नहीं थे।

निरीक्षण प्रक्रिया समीक्षा

VI.83 यूसीबी की निरीक्षण प्रक्रिया पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने तथा वित्तीय तथा कार्यात्मक मानदंडों में सन्निहित जोखिमों को पकड़ने के लिए उसकी समीक्षा की गई तथा संशोधन किया गया। वित्तीय मानदंडों में हुए परिवर्तनों को सटीक तरीके से प्रतिबिंबित करने के लिए निरीक्षण रेटिंग मॉडल में भी संशोधन किया गया।

साइबर सुरक्षा नीति

VI.84 सभी यूसीबी को सूचित किया गया कि वे अपने बोर्ड/ प्रशासक द्वारा विधिवत अनुमोदित साइबर सुरक्षा नीति स्थापित करें जिसमें कारोबार की जटिलताओं के स्तर तथा जोखिम के स्वीकार्य स्तरों के आधार पर साइबर खतरों को रोकने के लिए फ्रेमवर्क तथा कार्यनीति बनी हो। यह नीति उक्त यूसीबी की आईटी/ सूचना प्रणालियों (आईएस) नीति से भिन्न होनी चाहिए ताकि वह साइबर खतरों से उभरने वाले जोखिमों तथा इन जोखिमों से निपटने/ कम करने के लिए आवश्यक उपायों पर प्रकाश डालती है। साइबर- हमले की घटनाओं के संबंध में त्वरित कार्रवाई के लिए एक पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी स्थापित किया गया है (बॉक्स VI.5)।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्य-योजना

केंद्रीकृत धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफ़आर) का कार्यान्वयन

VI.85 शहरी सहकारी बैंकों के बीच धोखाधड़ी से संबन्धित जानकारी को शेयर करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के लिए स्थापित सीएफ़आर की तरह ही एक व्यवस्था तैयार करने का प्रस्ताव है। इससे समस्त क्षेत्र में समय पर और समरूपी तरीके से धोखाधड़ी संबंधी जानकारी शेयर की जा सकेगी।

विसंगतियों का समय रहते आकलन और सामयिक पर्यवेक्षण योजना बनाने हेतु बहुकार्यसाधक रिपोर्ट तैयार करना।

VI.86 पर्यवेक्षी इनपुट के लिए उपलब्ध डेटा का इष्टतम उपयोग करने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है कि ओएसएस डेटा का प्रयोग करते हुए चुनिन्दा वित्तीय पैरामीटरों से प्राप्त संशोधित आरंभिक संकेतकों पर आधारित मानकीकृत रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि विसंगतियों का समय रहते आकलन और सामयिक पर्यवेक्षी कार्रवाई हो सके।

चुनिन्दा शहरी सहकारी बैंकों के लिए विभेदीकृत पर्यवेक्षण व्यवस्था

VI.87 यह परिकल्पना की गई है कि अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों हेतु जोखिम आधारित मूल्यांकन कर शहरी सहकारी बैंकों के लिए विभेदीकृत पर्यवेक्षण व्यवस्था आरंभ की जाए। यह प्रयास निरीक्षकों के स्किल-सेट में सुधार और बैंकों में जोखिम आकलन हेतु प्रक्रियाओं की शुरुआत की दिशा में ले जाएगा।

बॉक्स VI.5
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए बुनियादी साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क

बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने तथा सेवाएँ प्रदान करने, लेखा विधि तथा एमआईएस में सुविधा हो इस उद्देश्य से यूसीबी क्षेत्र ने अपने दैनंदिन परिचालनों में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाया है। तथापि उससे यूसीबी को आईटी तथा साइबर खतरों से संबद्ध जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। उच्च प्रोफ़ाइल वाले साइबर हमलों, ग्राहक से संबंधित सूचना की चोरी, नेट बैंकिंग का छलपूर्ण उपयोग तथा डेबिट/ क्रेडिट कार्ड पर स्टोर की गई सूचना की चोरी (स्कीमिंग) की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य हो गया है कि यूसीबी को साइबर खतरों से होने वाले जोखिम से सुरक्षित रखने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाए।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए बुनियादी साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क पर 19 अक्तूबर 2018 के परिपत्र के अनुसार सभी यूसीबी को सूचित किया गया था कि वे एक ऐसी साइबर सुरक्षा नीति तैयार करें जिसमें सगठनात्मक व्यवस्थाएं, सभी हितधारकों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता निर्माण करने, ग्राहक संबंधी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने, तथा बुनियादी साइबर सुरक्षा नियंत्रणों को कार्यान्वित करने संबंधी दिशा-निर्देश शामिल हो। नीति ने यह भी अपरिहार्य किया कि बिज़नस आईटी परिसंपत्ति का इंवैंट्री प्रबंधन, पर्यावरण नियंत्रण, नेटवर्क प्रबंध तथा सुरक्षा, सुरक्षित कॉन्फ़िगरेशन, यूसर एक्सैस नियंत्रण/ प्रबंध, वेंडर/ आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबंधन तथा यूसर्स / कर्मचारी/ प्रबंध तंत्र के लिए जागरूकता निर्माण करने का कार्य समय-बद्ध रूप में पूरा हो। यूसीबी के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी सभी असाधारण घटनाओं (अनधिकृत प्रवेश की कोशिश सहित) की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को करने के लिए एक पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तैयार किया गया है।

एनबीएफसी: गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस)

VI.88 गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) को वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए जमाकर्ताओं तथा ग्राहकों का संरक्षण करने का अधिदेश दिया गया है। जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफ़सी को उनके प्रणालीगत महत्व के आधार पर ऑन-साइट तथा ऑफ-साइट कड़ी निगरानी रखी जाती है। ग्राहक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एनबीएफ़सी के लिए 2006 में *उचित व्यवहार संहिता* तैयार की। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफ़सी (अर्थात् ₹5 बिलियन तथा उससे अधिक राशि की आस्तियां), जिनकी वर्तमान संख्या 276 है और जो क्षेत्र की आस्ति के आकार का 85 प्रतिशत हिस्सा है, की कड़ी निगरानी के माध्यम से वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने का दायित्व सुनिश्चित किया जाता है। जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफ़सी तथा एनबीएफ़सी-एनडी-एसआई की निगरानी के लिए पर्यवेक्षण के सभी चार स्तंभों [अर्थात ऑन-साइट परीक्षण; ऑफ- साइट निगरानी; बाज़ार आसूचना; तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त वार्षिक प्रमाण-पत्र] का उपयोग किया जाता है। छोटी एनबीएफ़सी की ऑफ-साइट निगरानी, बाज़ार आसूचना तथा ऑन-साइट संवीक्षा दौरे के माध्यम से निगरानी की जाती है। अक्तूबर 2018 से अर्थ दंड लगाए जाने की प्रक्रिया को पर्यवेक्षी कार्य से अलग कर दिया गया है ताकि स्वतंत्र तथा निरपेक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। एनबीएफ़सी के मामले में अर्थ दंड का निर्णय अब प्रवर्तन विभाग द्वारा लिया जाता है।

2018-19 की कार्ययोजना - कार्यान्वयन की स्थिति

VI.89 एनबीएफ़सी के पर्यवेक्षण के लिए अपनाए गए 'स्वामित्व-निरपेक्षता' सिद्धान्त के एक भाग के रूप में सरकार के स्वामित्व वाली सभी एनबीएफ़सी-एनडी-एसआई (उक्त क्षेत्र की आस्तियों में जिनका 30 प्रतिशत है) तथा सरकारी स्वामित्व वाली जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफ़सी (उक्त क्षेत्र की आस्तियों में जिनका 1.4 प्रतिशत है) को 2018-19 के निरीक्षण चक्र से रिज़र्व बैंक के ऑन-साइट निरीक्षण फ्रेमवर्क तथा ऑफ-साइट निगरानी के अंतर्गत लाया गया है। सभी एनबीएफसी के साथ-साथ फिन-टेक आधारित पी2पी एनबीएफ़सी को भी रिज़र्व बैंक के एक्स्टेंसिबल बिज़नस रिपोर्टिंग लैंगवेज़ (एक्सबीआरएल) प्लैटफ़ार्म के माध्यम से ऑफ-साइट रिपोर्टिंग के अंतर्गत लाया गया है।

VI.90 इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन तथा उनकी निगरानी के मामले में एनबीएफ़सी क्षेत्र में साइबर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं की निगरानी में वृद्धि हुई है तथा उसे 1 अप्रैल 2019 से डीबीएस के साइबर सुरक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षण (सीएसआईटीई) कक्ष में केंद्रीकृत किया गया है। सभी एनबीएफ़सी को यह सूचित किया गया है कि वे साइबर सुरक्षा से संबंधित सभी प्रकार की असाधारण घटनाओं को एक विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में जेनेरिक ई-मेल आईडी (cybersecuritynbfc@rbi.org .in) के माध्यम से डीबीएस के सीएसआईटीई कक्ष को रिपोर्ट करें।

VI.91 अनुपालन नहीं करने वाली कमजोर एनबीएफ़सी को समाप्त (वीड-आउट) करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में ₹20 मिलियन की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि की अपेक्षा के मानदंड को पूर्ण नहीं करने वाली 1604 एनबीएफ़सी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किए गए। आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की तैयारी के लिए फरवरी 2019 में उक्त विषय पर मुंबई में एक संगोष्ठी आयोजित की गई।

2019-20 की कार्ययोजना

VI.92 वर्ष 2019-20 के दौरान एनबीएफ़सी के चार पर्यवेक्षी स्तंभों को और मजबूत बनाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे।

ऑन-साइट पर्यवेक्षण

VI.93 सभी विनियमित संस्थाओं (अर्थात, बैंक/एनबीएफ़सी) का निरीक्षण एक साथ किया जाएगा ताकि अंतर/अंत: – समूह लेनदेन तथा एक्सपोजरों को बेहतर समझा जा सके तथा किसी एनबीएफ़सी, जिसका उसी समूह में अन्य एनबीएफ़सी/बैंक है, का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त हो सके। एकल बड़े एनबीएफ़सी/एनबीएफ़सी समूह के लिए संपर्क के केंद्रीय बिन्दु के रूप में वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक की संकल्पना को बड़ी संस्थाओं/समूहों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऑन-साइट निरीक्षण प्रणाली तथा ऑफ-साइट निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाया जा रहा है तथा बाज़ार से निधियों का दोहन करके उन्हें समूह कंपनियों में निवेश करने/उधार देने वाली मूलभूत निवेश कंपनियों (सीआईसी) की कड़ी निगरानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सीआईसी के पर्यवेक्षी/विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा की जाएगी।

ऑफ-साइट निगरानी

VI.94 एनबीएफ़सी के लिए ऑफ-साइट विवरणियों में संशोधन किया जा रहा है तथा प्राप्त किए जा रहे सूचनाओं के समुच्चय को अधिक गहन तथा विस्तृत बनाया जा रहा है। इन विवरणियों को तर्कसंगत बनाते हुए 21 से घटाकर 17 तक कम किया गया है। विवरणियों को एक्सबीआरएल में सन्निहित प्रमाणन जांच सहित विकसित किया जा रहा है। रिपोर्टिंग की यथार्थता सहित विनियमित संस्था में कमजोरी के प्रारंभिक सावधानी संकेतों की पहचान करने तथा आंकड़ों की समय पर प्रस्तुति की जांच करने के लिए विभिन्न रिपोर्टें तैयार की गई हैं।

बाज़ार आसूचना

VI.95 जमाराशि का अनधिकृत संग्रहण तथा पोंजी योजनाओं को रिपोर्ट करने के लिए वर्ष 2016 में दो भाषाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी) में सचेत पोर्टल की शुरुआत की गई। यह पोर्टल 2019-20 में पहले से उपलब्ध हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं के अतिरिक्त 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पोंजी योजनाओं तथा अनधिकृत निकायों द्वारा जमा संग्रहण से संबंधित सूचना प्राप्त करने में सुविधा होगी। इससे वित्तीय साक्षरता के प्रसार में भी मदद मिलेगी क्योंकि पोर्टल में कई भाषाओं में वित्तीय साक्षरता संबंधी सामग्री भी शामिल है।

सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) द्वारा वार्षिक रिपोर्टों की प्रस्तुति

VI.96 एसए के लिए एक टेम्पलेट तैयार किया जाएगा ताकि वे लेखा परीक्षित डेटा को एक्सबीआरएल के माध्यम से रिजर्व बैंक के डेटाबेस में सीधे अपलोड कर सकें, जो एनबीएफसी द्वारा प्रस्तुत ऑफ-साइट डेटा की तुलना करने के लिए मानदंड (बेंचमार्क) भी निर्धारित करेगा।

अन्य हितधारकों के साथ बातचीत

VI.97 डीएनबीएस पर्यवेक्षण के पांचवें स्तंभ के विकास की दिशा में कार्य करेगा अर्थात, एनबीएफसी, उनके एसए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, अन्य विनियामकों और इस क्षेत्र में बड़े एक्सपोजर वाले बैंकों सहित इस क्षेत्र के हितधारकों के साथ सहभागिता करेगा; ताकि *अन्य बातों के साथ-साथ*, क्षेत्र में उभरते जोखिमों और गतिविधियों को पहचान कर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

प्रवर्तन विभाग (ईएफडी)

VI.98 प्रवर्तन विभाग (ईएफ़डी) अप्रैल 2017 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, जन-हित तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण सिद्धान्त के अंतर्गत विनियमित संस्थाओं से अधिक अनुपालन प्राप्त करने के लिए सभी बैंकों में विनियमों को समान रूप से प्रवर्तित करना है। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफ़एस) द्वारा अनुमोदित प्रवर्तन नीति तथा फ्रेमवर्क , प्रवर्तन करने में निष्पक्ष, सुसंगत तथा निष्पक्ष होने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है (बॉक्स VI.6)।

2018-19 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

VI.99 3 अक्तूबर 2018 से सहकारी बैंकों तथा एनबीएफ़सी से संबंधित प्रवर्तन कार्य को विभाग के अंतर्गत लाया गया। वर्ष

बॉक्स VI.6
प्रवर्तन नीति तथा फ्रेमवर्क

विश्वसनीय बैंकिंग विनियामक तथा पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क के लिए प्रभावी, सुसंगत तथा पूर्वानुमेय प्रवर्तन फ्रेमवर्क अपरिहार्य है। प्रवर्तन कार्रवाई का विनियमित संस्था (आरई) के लिए धन तथा प्रतिष्ठा के संबंध में निवारक प्रभाव पड़ता है तथा किसी प्रवर्तन कार्रवाई का प्रत्यक्ष प्रभाव भी सूप्रलेखित है। अध्ययन द्वारा यह पता चला है कि कार्रवाई के परिणाम स्वरूप न केवल प्रतिबंधित बैंकों के मामले में बल्कि गैर-प्रतिबंधित बैंकों का व्यवहार भी अनुकूल बनता है। (डेलीस, स्टाइकौरस तथा त्सौमस, 2016)

प्रवर्तन, पर्यवेक्षी प्रक्रिया के भाग के रूप में अनुपालन प्राप्त करने के लिए वास्तविक अथवा बैंकों / व्यक्तियों पर दंड लगाने के लिए औपचारिक हो सकता है; अथवा, विनियामक द्वारा जारी स्पष्टीकरण / सतर्कता सूचना के संबंध में अनौपचारिक हो सकता है। प्रवर्तन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण में दोनों तत्व, सतत/ आवर्ती शामिल हैं जिसके अनुपालन नहीं करने के लिए कठोर औपचारिक कार्रवाई की जाती है।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव

अमरीका में फेडरल डिपॉज़िट इन्शुरेंस (एफ़डीआई) एक्ट तथा फेडेरल डिपॉज़िट इन्शुरेंस कॉर्पोरेशन (एफ़डीआईसी) नियम और विनियम, फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म, रिकवरी और एन्फ़ोर्समेंट एक्ट

(जारी...)

(एफ़आईआरआरईए), 1989 तथा यूएस सिविल कोड, कुछ ऐसे कानून हैं जो वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करते हैं। पर्यवेक्षी तथा प्रवर्तन शक्तियों को फेडरल तथा स्टेट स्तर पर विभिन्न एजेंसियों तथा चार एजेंसियों जैसे कि फेडरल रिज़र्व सिस्टम (फेडरल रिज़र्व) के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स, एफ़डीआईसी, ऑफिस ऑफ कॉम्पट्रोलर ऑफ करेंसी(ओसीसी) तथा कंज़्यूमर फ़ाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो (सीएफ़पीबी)[2] के बीच विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (डीओजे) आपराधिक जुर्म तथा प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार से संबंधित दुराचार का प्रवर्तन करता है। उसकी गंभीरता के आधार पर उल्लंघनों को टिअर 1, टिअर 2, तथा टिअर 3 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा प्रवर्तन कार्रवाई में गैर-मौद्रिक कार्रवाई जैसे सार्वजनिक वक्तव्य, समाप्ति तथा रुकने के आदेश, प्राधिकारों का प्रत्याहार तथा प्रबंध तंत्र पर अस्थायी प्रतिबंध, मौद्रिक दंड तथा आपराधिक दंड शामिल होते हैं।

यूरोपियन यूनियन (ईयू) में, बैंकिंग पर्यवेक्षण एक सिंगल सुपरवाइजरी मेकनिज़्म द्वारा किया जाता है, जो कि ईयू बैंकिंग यूनियन के दो स्तंभों में से एक है और दूसरा है सिंगल रेसोल्यूशन मेकनिज़्म और उसमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक(ईसीबी), तथा सहभागी सदस्य राज्यों की नेशनल कॉमपिटंट अथॉरिटीज (एनसीए) शामिल हैं। ईसीबी तथा एनसीए का पर्यवेक्षी दायरा किसी संस्था के वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित होता है, *जैसे* महत्वपूर्ण संस्थाओं का पर्यवेक्षण ईसीबी द्वारा और कम महत्व वाली संस्थाओं का पर्यवेक्षण एनसीए द्वारा किया जाता है। ईसीबी अथवा एनसीए महत्वपूर्ण संस्थाओं तथा कम महत्व वाली संस्थाओं पर उनके द्वारा किए गए उल्लंघन (ईयू कानून, ईसीबी विनियमन, तथा निर्णयों अथवा राष्ट्रीय कानून का) के स्वरूप के आधार पर मौद्रिक दंड लगा सकता है। यह दंड प्राप्त लाभ अथवा बचाई गई हानि की राशि के दुगुनी राशि तक अथवा पिछले कारोबारी वर्ष में महत्वपूर्ण संस्था के कुल वार्षिक टर्नओवर के 10 प्रतिशत तक *कारगरता, समानुपातिकता* तथा *निवर्तनीयता* के सिद्धान्तों के आधार पर उल्लंघन की तीव्रता तथा मामले के उत्तेजक तथा गंभीरता को कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में लेते हुए लगाया जाता है। परिसीमन की अवधि (उल्लंघन की तारीख से) जिसके भीतर दंड लगाने का निर्णय लेना है तथा जिस अवधि के भीतर दंड की वसूली करनी है - दोनों को विनियम में निर्धारित किया गया है।

भारत

रिज़र्व बैंक के पास बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र[3] को प्रभावित करने वाले विभिन्न क़ानूनों के अंतर्गत दंड लगाने की शक्तियाँ हैं। जहां रिज़र्व बैंक इन संविधियों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है, यह प्रक्रिया विभिन्न पर्यवेक्षी / विनियामक विभागों के बीच फैली हुई थी और प्रवर्तन कार्रवाई को पर्यवेक्षी प्रक्रिया से अलग रखने की अंतरराष्ट्रीय उत्तम प्रथा के अनुरूप नहीं थी। तदनुसार, उल्लंघनों की पहचान करने तथा प्रवर्तन की कार्रवाई को पर्यवेक्षी प्रक्रिया से अलग रखने की दृष्टि से तथा प्रवर्तन कार्रवाई के लिए एक स्वस्थ फ्रेमवर्क तथा प्रक्रिया स्थापित करने तथा प्रवर्तन करने के लिए रिज़र्व बैंक के भीतर अप्रैल 2017 में प्रवर्तन विभाग (ईएफ़डी) की स्थापना की गई।

प्रवर्तन नीति तथा उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, जन हित तथा उपभोक्ता सुरक्षा को सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण सिद्धान्त के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा इस नीति के अंतर्गत जारी संविधियों तथा विनियम/ निदेशों का अधिक अनुपालन सुनिश्चित करना है। इस नीति के अंतर्गत मनमानी को कम से कम रखने के लिए सभी संस्थाओं पर समान रूप से लागू *भौतिकता, अनुपातिकता,* तथा *आशय* के सुपरिभाषित सिद्धांतों के आधार पर पर्यवेक्षी विभागों द्वारा अंतिम रूप दिए गए निरीक्षण रिपोर्टों और संवीक्षा रिपोर्ट के आधार पर प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करना अपेक्षित है। इसके अंतर्गत विवेक (निरपेक्ष, सुसंगत तथा पूर्वानुमेय) भी अपेक्षित है और उच्चतर घटना तथा अधिक प्रणालीगत प्रभाव वाले उल्लंघनों पर कठोर कार्रवाई (प्रतिक्रियाशील, जोखिम केन्द्रित तथा आनुपातिक) अपेक्षित है।

प्रवर्तन का दायरा

जहां विभिन्न संविधि रिज़र्व बैंक को मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक दोनों प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्तियाँ प्रदान करते हैं, वहाँ प्रवर्तन नीति में ऐसे उल्लंघनों को संबोधित किया गया है, जिन पर मौद्रिक दंड लागू किया जाता है। जिन उल्लंघनों पर गैर-मौद्रिक दंड आकर्षित होगा अथवा दंडात्मक ब्याज लागू किया जाना है वे दंड संबंधित विनियामक तथा पर्यवेक्षी विभागों द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे। यह नीति न तो व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायतों पर कार्रवाई करना परिकल्पित करती है न ही प्रवर्तन शिकायत निवारण का एक तंत्र है। प्रवर्तन कार्रवाई पर्यवेक्षी अनुपालन प्रक्रिया के लिए ऐवजी व्यवस्था भी नहीं है।

प्रवर्तन का आधार

कार्रवाई योग्य उल्लंघनों को निम्नलिखित के आधार पर निर्धारित किया जाता है: (ए) उल्लंघन का तथ्य, तथा (बी) उल्लंघन की *भौतिकता*। उल्लंघन के तथ्य को सांविधिक प्रावधान के अस्तित्व तथा उसके अंतर्गत जारी किए गए निदेश/ दिशा-निर्देश तथा उसके उल्लंघन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उल्लंघन की भौतिकता को

(जारी...)

[2] फेडरल रिज़र्व, बैंक होल्डिंग कंपनियों, स्टेट चार्टर्ड बैंक जो कि फेडरल रिज़र्व सिस्टम के सदस्य हैं तथा अमरीका में परिचालन करने वाली विदेशी बैंकों का पर्यवेक्षण करता है; एफ़डीआईसी उन स्टेट चार्टर्ड बैंकों का विनियमन करता है जो फेडरल रिज़र्व सिस्टम तथा स्टेट चार्टर ब्रिफ्ट्स के सदस्य नहीं हैं; ओसीसी सभी राष्ट्रीय बैंकों तथा फेडरल सेविंग एसोसिएशन तथा विदेशी बैंकों की शाखाओं का विनियमन तथा पर्यवेक्षण करता है; और सीएफ़पीबी फेडरल उपभोक्ता वित्तीय अभिरक्षा विधियों का प्रवर्तन करता है।

[3] बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934; भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007; सरफेसी अधिनियम, 2002; फ़ैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011; ऋण आसूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005; *आदि*

उल्लंघन के *दायरे* [4], *बारंबारता*[5] *तथा गंभीरता* के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उल्लंघन की गंभीरता को उल्लंघन में शामिल राशि की निवल संख्या अथवा कारोबार के आकार के अनुपात के रूप में निर्धारित किया जाता है। उल्लंघनों की पुनरावृत्ति/ सातत्य तथा मिथ्या अनुपालन, यदि कोई हो, जैसे *उत्तेजक कारकों* को भी भौतिकता को निर्धारित करने में विचार में लिया जाता है।

न्यायनिर्णयन प्रक्रिया

प्रवर्तन कार्रवाई की प्रक्रिया में विनियमित संस्था (आरई) को कारण बताओ नोटिस जारी करना और उक्त संस्था को लिखित में और यदि अनुरोध करें तो मौखिक सुनवाई का भी उचित अवसर प्रदान करना शामिल होता है। एक तीन सदस्यों की समिति[6] मामले का न्यायनिर्णयन करती है तथा आरई को तर्कयुक्त सकारण आदेश जारी करती है जिसमें की जाने वाली प्रवर्तन कार्रवाई तथा उसके कारणों को निर्दिष्ट किया जाता है। जहां किसी उल्लंघन के लिए दंड के रूप में लगाई जाने वाली अधिकतम राशि को संबंधित संविधि में निर्धारित किया गया है वहाँ प्रत्येक मामले में उस सीमा के भीतर लगाए जाने वाले दंड को उस मामले की गंभीरता जो कि *अनुपातिकता, आशय* तथा *गंभीरता* को कम करने वाले कारकों, यदि कोई हो, के सिद्धांतों पर आधारित है, के आधार पर अभिकलित किया जाता है। लगाया गया दंड आरई द्वारा संबंधित संविधियों में निर्धारित अवधि के भीतर देय है। वर्तमान में संविधियाँ रिज़र्व बैंक को केवल आरई पर ही दंड लगाने के अधिकार देती हैं और संस्था के प्रभारी व्यक्ति अथवा उल्लंघन के लिए प्रकट रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों पर नहीं। सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मौद्रिक दंड लगाने के मामलों को छोड़कर रिज़र्व बैंक के पास कार्यपालक निदेशकों की समिति (ईडीसी) के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार करने अथवा उसकी समीक्षा करने का अधिकार नहीं है।

संदर्भ:

1. सियाज्जा, एस., कोटुगनों, एम., फिओर्डेलिसी, एफ़., तथा स्टेफनेली, वी.,(2018) "द स्पिलओवर इफेक्ट ऑफ एन्फॉर्समेंट एक्शन्स ऑन बैंक रिस्क टेकिंग", जर्नल ऑफ बैंकिंग अँड फ़ाइनेंस, 91, 146-159.
2. डेलीस, एम.डी., स्टाइकौरस, पी., तथा त्सौमस, सी. (2016)" फॉर्मल एन्फॉर्समेंट एक्शन्स एन्ड बैंक बिहेव्यर", मैनेजमेंट साइन्स, 63(4).
3. डेलीस, एम.डी. तथा स्टाइकौरस, पी. (2011) "सूपर्वाइज़री इफेक्नेटिवनेस तथा बैंक रिस्क" रिव्यू ऑफ फ़ाइनेंस, 15 (3), 511-543.
4. कार्लेटी, ई. (2017) "फ़ाइन्स फॉर मिस्कन्डक्ट इन द बैंकिंग सैक्टर –वॉट इज़ द सिचुएशन इन ईयू? "मार्च (http://www.europarl.europa.eu//committees/en/ECON/home.html पर उपलब्ध है)
5. आरबीआई (2017) "विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य" फ़रवरी।

जुलाई 2018 से जून 2019 तक (चार्ट VI.1) विभाग ने 47 बैंकों (नौ विदेशी बैंक, एक भुगतान बैंक, तथा एक सहकारी बैंक सहित) पर प्रवर्तन कार्रवाई की तथा धोखाधड़ी के वर्गीकरण तथा उनकी रिपोर्टिंग पर दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने/ उल्लंघन करने; चालू खाता खोलते समय अनुशासन का पालन नहीं करने; आरबीएस के अंतर्गत सीआरआईएलसी प्लैटफ़ार्म को रिपोर्ट नहीं करने; रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए केवाईसी मानदंडों, आईआरएसी मानदंडों, एटीएम-संबंधी ग्राहक की शिकायतों के समाधान में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन; नए खाते खोलने पर रोक संबंधी सर्व – समावेशी निदेशों तथा विशिष्ट निदेशों का उल्लंघन; साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क तथा स्विफ्ट-संबंधी परीचालनगत नियंत्रणों के समयबद्ध कार्यान्वयन तथा

चार्ट VI.1: बैंककारी विनियमन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लगाए गए मौद्रिक दंड

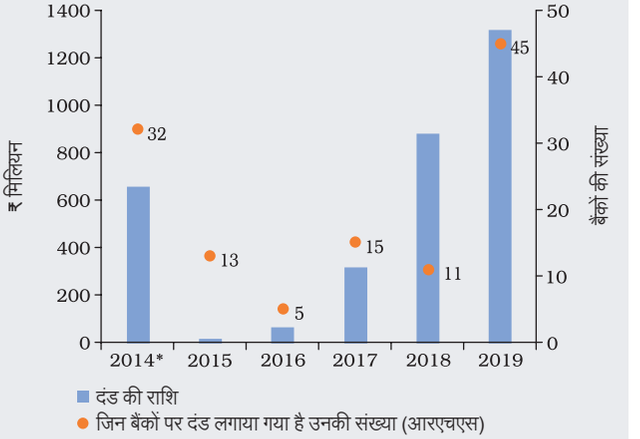

* मीडिया के रिपोर्टों के मद्देनजर प्रारंभ की गई संवीक्षा के आधार पर केवाईसी संबंधी उल्लंघनोंके लिए 31 बैंकों पर लगाए गए दंड शामिल हैं।
नोट : प्रति वर्ष 31 मार्च से संबंधित आंकड़े।
स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

[4] विनियामकीय सीमा का किस स्तर अथवा प्रतिशत में उल्लंघन किया गया है; यदि अल्प प्रतिशत/ स्तर में है फिर भी उल्लंघन है, और वह कितना फैला है (भौगोलिक रूप से)।

[5] किसी विशिष्ट नमूने में उसी उल्लंघन की एकाधिक घटनाएं।

[6] केंद्रीय कार्यालय स्तर पर इसमें तीन कार्यपालक निदेशक तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर इसमें क्षेत्रीय निदेशक तथा क्षेत्रीय कार्यालय के दो वरिष्ठ अधिकारीहोते हैं।

उन्हें मजबूत बनाने संबंधी निदेशों का अननुपालन; थर्ड पार्टी अकाउंट पेयी चेकों से संबंधित निदेशों का उल्लंघन तथा नोट सॉर्टिंग पर निदेशों, जोखिम कम करने की योजना (आरएमपी) में निहित निदेशों; सूचना प्रस्तुत करने संबंधी निदेशों तथा 'गारंटी तथा सह-स्वीकृतियों' पर निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए ₹1,238.6 मिलियन का समग्र दंड लगाया।

वर्ष 2019-20 कार्य-योजना

VI.100 प्रवर्तन नीति तथा फ्रेमवर्क जिसे वाणिज्यिक बैंकों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई करने के विभाग के दायित्व की पृष्टभूमि में विकसित किया गया था, अब सहकारी बैंकों तथा एनबीएफ़सी के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई करने के उनके विस्तारित दायित्व के परिप्रेक्ष्य में इसमें संशोधन किया जाएगा। इस विस्तारित दायित्व के अनुसरण में ईएफ़डी क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) जिन्हें 2018-19 में स्थापित किया गया था, को वर्ष के दौरान पर्याप्त स्टाफ देकर मजबूत बनाया जाएगा। उल्लंघनों को पकड़ने तथा प्रवर्तन कार्रवाई और अनुपालन को अभिलेखित करने के लिए और एमआईएस जेनरेट करने के लिए एक डेटाबेस प्रबंध प्रणाली बनाने का प्रस्ताव है।

5. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)

VI.101 उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) *अन्य बातों के साथ-साथ* विनियमित संस्थाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए नितिगत दिशा-निर्देश तैयार करने, रिज़र्व बैंक की लोकपाल योजनाओं की कार्यपद्धति की निगरानी करने, तथा सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं, ग्राहक सेवाओं तथा सुरक्षा संबंधी वर्तमान विनियमों, और ग्राहक शिकायतों के निवारण के मार्गों के बारे में आम जनता के बीच शिक्षा/ जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया।

2018-19 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

डिजिटल लेनदेन के संबंध में लोकपाल योजना (ओएसडीटी) का प्रारंभ

VI.102 रिज़र्व बैंक ने अपने प्रयासों के अनुक्रम में बैंकिंग लोकपाल (बीओ) के सभी विद्यमान कार्यालयों में 31 जनवरी 2019 को ओएसडीटी कार्यान्वित की। उक्त योजना भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के अंतर्गत प्रारंभ की गई। लोकपाल डिजिटल लेनदेन के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत/ विनियमित गैर-बैंक जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) के ग्राहकों की शिकायतों पर कार्रवाई करता है। यह योजना बैंकिंग लोकपाल योजना के समान मध्यस्थता/ समझौता के माध्यम से शिकायतों के निवारण के लिए एक निशुल्क तथा त्वरित शिकायत निवारण प्रक्रिया प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है (बॉक्स VI.7)।

एनबीएफ़सी के लिए लोकपाल योजना की व्याप्ति को बढ़ाना

VI.103 फरवरी 2018 में एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना कार्यान्वित की गई। एनबीएफसी लोकपाल के कार्यालयों ने चार मेट्रो केंद्रों – चेन्नै, कोलकाता, मुंबई एवं नई दिल्ली में कार्य प्रारंभ कर दिया है; और प्रत्येक कार्यालय द्वारा क्रमशः दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर अंचल के अंतर्गत आने वाली एनबीएफसी के ग्राहकों की शिकायतों का निपटान किया जाता है। यह योजना आरंभिक तौर पर रिज़र्व बैंक में पंजीकृत जमा स्वीकार करने वाले एनबीएफसी पर लागू की गई तथा बाद में 4 अप्रैल 2019 की विकासात्मक तथा विनियामक नीतियों पर वकतव्य में घोषित किए गए अनुसार 26 अप्रैल 2019 से इसे ग्राहक इंटरफ़ेस तथा ₹1 बिलियन तथा उससे अधिक राशि की आस्तियों वाली एनएनबीएफ़सी-एनडी को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया।

शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) का प्रारम्भ

VI.104 जून 2019 में रिज़र्व बैंक ने सीएमएस का शुभारंभ किया जो विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने तथा उनकी स्थिति को ट्रैक करने में

बॉक्स VI.7
प्रभावी ग्राहक शिकायत निवारण के साधनों के रूप में मध्यस्थता तथा समझौता

बैंकिंग लोकपाल (बीओ) योजना, 2006; यथासंशोधित 1 जुलाई 2017, निपटान के माध्यम से शिकायतों के समाधान पर ज़ोर देती है। योजना के खंड 11(1) के अनुसार बीओ समझौता अथवा मध्यस्थता के माध्यम से शिकायतकर्ता तथा बैंक के बीच समझौते द्वारा शिकायतों के निपटान को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है। बीओ दस्तावेजी साक्ष्यों तथा लिखित प्रस्तुतियों के आधार पर निपटान करने के प्रयास करता है। तथापि, यदि बैंक तथा शिकायतकर्ता के बीच किसी सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए उनके बीच बैठक की आवश्यकता है, तो बीओ समझौताकारी बैठकें आयोजित करता है। ये बैठकें समान्यतः मध्यस्थता से शुरू होती हैं और यदि कोई समाधान नहीं मिलता है तो समझौता किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में जहां आपसी निपटान नहीं होता है, वहाँ बीओ एक 'अधिनिर्णय' जारी करता है, जो कि बैंक पर बाध्यकारी है। बीओ के कार्यालयों में बड़ी संख्या में प्राप्त समाधान योग्य शिकायतों को परस्पर निपटान तथा समझौतों के माध्यम से निपटाया जा रहा है। समाधान योग्य शिकायतों में 2015-16 के दौरान 35.93 प्रतिशत (18,031 शिकायतें) तथा वर्ष 2018-19 में 70.5 प्रतिशत (64,171 शिकायतें) की वृद्धि हुई।

एनबीएफ़सी के लिए लोकपाल योजना, 2018 तथा डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019 को बीओ योजना, 2006 के अनुसार तैयार किया गया है। इन योजनाओं में भी लोकपाल समझौते द्वारा शिकायतों के समाधान का प्रयास करता है।

संदर्भ:

राव, एम.जे. (2019) "कान्सेप्ट्स ऑफ कंसिलिएशन एन्ड मीडियशन एन्ड देयर डिफरेन्सेस"।

सहायता प्रदान करने वाला एक वेब-आधारित सॉफ्टवेयर है। यह प्रणाली तीन लोकपाल योजनाओं- बैंकिंग लोकपाल योजना; एनबीएफ़सी के लिए लोकपाल योजना; और ओएसडीटी तथा उपभोक्ता शिक्षा और सुरक्षा कक्षों के अंतर्गत शिकायतें दर्ज करने के लिए एकल प्लैटफ़ार्म प्रदान करती है। सीएमएस में एक उन्नत एमआईएस होगी जिसका उपभोक्ता सुरक्षा के साथ-साथ पर्यवेक्षी/ विनियामक हस्तक्षेप, यदि कोई हों को सुधारने के लिए नीतिगत सहयोग के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

बैंकों में आंतरिक लोकपाल योजना का परिचालन(आईओ)

VI.105 रिज़र्व बैंक द्वारा 2015 में घोषित तब की आईओ व्यवस्था की पुनः समीक्षा की गई तथा बैंकों में आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाने की दृष्टि से आईओ योजना, 2018 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत तैयार की गई। इसके अंतर्गत भारत में 10 बैंकिंग आउटलेट से अधिक आउटलेट वाले सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) शामिल हैं। यह योजना 3 सितंबर 2018 से कार्यान्वित की गई है।

संतुष्टता सर्वेक्षण

VI.106 रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपभोक्ता सुरक्षा उपायों के प्रति प्रतिक्रिया के मूल्यांकन के लिए एक विशेषीकृत थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से एक अखिल भारतीय स्तर का ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष व्यवस्था की पर्याप्तता/ अपर्याप्तता को दर्शाएँगे तथा कोई अतिरिक्त हस्तक्षेप यदि हो, की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा।

शिक्षा/ जागरूकता पहल

VI.107 वर्ष 2018-19 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने देश-भर में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से फर्जी ऑफर, बीएसबीडीए, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएं और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग जैसे विभिन्न विषयों पर जागरूकता अभियान चलाए। रिज़र्व बैंक का एसएमएस हैंडल, 'आरबीआई कहता है' का भी इस प्रकार के विषयों पर टेक्स्ट संदेश भेजने के लिए व्यापक उपयोग किया गया। उपर्युक्त के अलावा अन्य जागरूकता पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक ने जनता के लिए एक इंटरैक्टिव वॉइस रेसपॉन्स प्रणाली उपलब्ध कराई। वर्ष के दौरान, बीओ कार्यालयों ने, मुख्य रूप से टियर II शहरों में, 259 टाउन हाल/ जागरूकता/ आउटरिच कार्यक्रम भी आयोजित किए।

वर्ष 2019-20 की कार्य-योजना

VI.108 शिकायत निवारण उपभोक्ता संरक्षण फ्रेमवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिशा में, यह निर्णय लिया गया है कि निवारण प्रक्रिया और उपभोक्ता संरक्षण फ्रेमवर्क के निरोधात्मक पहलुओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएं ताकि वित्तीय सेवाओं के ग्राहकों का विश्वास बना रहे : (i) एनबीएफसी को एक्सटेंशन प्रदान करने के लिए आईओ योजना, 2018 की समीक्षा, (ii) उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कक्षों की समीक्षा करते हुए उनमें बीओ की तर्ज पर सुधार करना, (iii) बैंकिंग लोकपाल योजना को अद्यतन बनाने और उसका प्रभावी कार्यान्वयन, जिसमें संकेंद्रण माध्यम भी शामिल होगा, सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसकी समीक्षा करना, और (iv) शिकायत के प्रमुख क्षेत्रों के मूल कारणों के विश्लेषण के आधार पर बनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए नीति तैयार करना।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

VI.109 निक्षेप बीमा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा तथा जनता के विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बढ़ावा देता है (बॉक्स VI.8)। रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) सभी वाणिज्यिक बैंकों सहित एलएबी, पीबी, एसएफबी, आरआरबी एवं सहकारी बैंकों में रखी जमाराशियों को बीमा सुरक्षा प्रदान करता है।

VI.110 दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 2,098 थी, जिसमें 157 वाणिज्यिक बैंक (इनमें 51 आरआरबी, 3 एलएबी, 7 पीबी एवं 10 एसएफबी शामिल हैं) एवं 1,941 सहकारी बैंक (33 राज्य सहकारी बैंक, 364 डसीसीबी और 1,544 यूसीबी) शामिल हैं। भारत में निक्षेप बीमा की वर्तमान सीमा ₹0.1 मिलियन होने के साथ, मार्च 2019 के अंत की स्थिति के अनुसार पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या (2000 मिलियन) कुल खातों की संख्या (2,174 मिलियन) का 92 प्रतिशत रही, जबकि इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क[7] 80 प्रतिशत था। राशि के रूप में देखा जाए तो, मार्च 2019 के अंत की स्थिति के अनुसार, कुल बीमाकृत जमाराशि ₹33,700 बिलियन थी, जो मूल्यांकन-योग्य ₹120,051 बिलियन की जमाराशि के 28.1 प्रतिशत के तुल्य रही, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानदंड 20 से 30 प्रतिशत का है। वर्तमान स्थिति में, 2018-19 के लिए बीमा सुरक्षा की गणना प्रति व्यक्ति आय की 0.8 गुना है।

VI.111 डीआईसीजीसी अपने अधिशेष के अंतरण के जरिए निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष लगने वाले निवल कर को घटाकर व्यय (जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान एवं संबंधित व्यय) की तुलना में अधिशेष आय (मुख्य रूप से बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम, निवेशों से प्राप्त ब्याज आय और असफल बैंकों की आस्तियों से वसूल की गई नकदी) का अंतरण किया जाता है। यह निधि उन बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए उपलब्ध होती है जिनका परिसमापन/समामेलन हुआ हो। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, डीआईएफ का आकार ₹937.5 बिलियन रहा। 2018-19 के दौरान, निगम द्वारा ₹0.37 बिलियन के कुल दावे मंजूर किए गए जबकि विगत वर्ष ₹0.43 बिलियन की राशि मंजूर की गई थी। वर्ष के दौरान चार सहकारी बैंकों का परिसमापन किया गया जिनके संबंध में जमाकर्ताओं के दावे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)

VI.112 राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत 9 जुलाई 1988 को आवास वित्त की एक शीर्ष संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की स्थापना की गई थी। एनएचबी का प्राथमिक कार्य आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) का पंजीकरण, विनियमन एवं पर्यवेक्षण करना है। हालांकि, भारत सरकार के 2019-20 के केंद्रीय बजट में आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी) से संबंधित विनियामक शक्तियों को एनएचबी से रिज़र्व बैंक में अंतरित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, एचएफसी, एससीबी, आरआरबी और सहकारी ऋण संस्थाओं को आवास ऋणों के लिए एनएचबी पुनर्वित्त भी

[7] जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ (2013), ''एन्हैन्स्ड गाइडन्स फॉर इफेक्टिव डिपॉजिट इन्शुरन्स सिस्टम्स: डिपॉजिट इन्शुरन्स कवरेज़'', गाइडन्स पेपर, मार्च।(www.iadi.org पर उपलब्ध)

बॉक्स VI.8
जमा बीमाकर्ताओं की आकस्मिक आयोजना तथा संकट प्रबंधन में भूमिका

जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ (आईएडीआई) के मूल प्रिंसिपल 6 के अनुसार *"जमा बीमाकर्ता के पास यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी आकस्मिक आयोजना तथा संकट प्रबंधन नीतियाँ तथा क्रियाविधियाँ स्थापित होनी चाहिए कि वह बैंक की असफलता तथा अन्य घटनाओं के जोखिम और वास्तविकता पर कारगर ढंग से प्रतिक्रिया दे सके। प्रणाली – स्तर पर संकट से निपटने की तत्परता की कार्यनीतियों तथा प्रबंधन नीतियों को विकसित करना प्रणाली–स्तर पर संकट से निपटने की तत्परता तथा प्रबंधन से जुड़े सभी सुरक्षा जाल सहभागियों की संयुक्त ज़िम्मेदारी होनी चाहिए।"*

सभी जमा बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास वे सभी साधन तथा क्रियाविधियाँ स्थापित हैं जो कि संकट का सामना करते समय अपने दायित्व के अनुसार सामान्य परिचालन निष्पादित करने के लिए आवश्यक हैं। जमा बीमाकर्ताओं के अन्य वित्तीय सुरक्षा जाल (एफ़एसएन) सदस्यों के साथ संकटों के दौरान सूचना की अधिकाधिक साझेदारी तथा समन्वयन के आधार के रूप में विधि निर्माण अथवा अन्य विधिक प्रावधानों के माध्यम से स्पष्टरूप से अधिकृत की गई सूचना साझा करने की कारगर व्यवस्थाएं स्थापित होनी चाहिए।

आईएडीआई के वर्ष 2018 के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व भर के जमा बीमाकर्ताओं में से 31 प्रतिशत पे बॉक्स थे, 40 प्रतिशत पे बॉक्स प्लस, 14 प्रतिशत हानि को कम करने वाले और 13 प्रतिशत जोखिम कम करने वाले[8] थे। लगभग 60 प्रतिशत किसी न किसी स्वरूप में आकस्मिक आयोजन करते हैं। जिन तेईस अधिकार क्षेत्रों से संबंधित सूचना उपलब्ध है उनमें से लगभग दो तिहाई संबंधित समाधान प्राधिकरणों ने एक वसूली तथा समाधान आयोजना (आरआरपी) फ्रेमवर्क कार्यान्वित किया है। कतिपय जोखिम/ हानि कम करने वाले जैसे चीनी ताइपेई, कोरिया तथा मलेशिया में आरआरपी को विकसित किया जा रहा है। जी-20 के 11 आईएडीआई सदस्य-क्षेत्राधिकार ने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्थाओं के लिए आरआरपी फ्रेमवर्क स्थापित किए हैं।

भारत में, डीआईसीजीसी मुख्यतः पे बॉक्स संस्था अर्थात असफल हुए सदस्य बैंकों के जमाकर्ताओं की प्रतिपूर्ति करने का कार्य करता है, हालांकि समाधान कार्य में उसकी कुछ भूमिका है जिसके अंतर्गत वे सुदृढ़ बैंकों में विलीन होने वाले कमजोर बैंकों के जमाकर्ताओं को वित्तीय समर्थन प्रदान करते हैं। डीआईसीजीसी ने 1985 से विलयन योजना के तहत 19 बैंकों (9 वाणिज्यिक बैंक तथा 10 सहकारी बैंक) के जमाकर्ताओं को वित्तीय समर्थन प्रदान किया है। जमाकर्ताओं के लिए पे-आउट अनुपात अधिग्राहक बैंक तथा डीआईसीजीसी के बीच निर्धारित किया जाता है। अपने पे बॉक्स के कार्य के अनुरूप डीआईसीजीसी अपनी निधियों को तरल प्रतिभूतियों में निवेश करने की विवेकसम्मत निवेश नीति का पालन करता है ताकि चलनिधि संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निधियों का नियमित अंतर्वाह सुनिश्चित हो सके। भारत में वर्तमान आकस्मिक आयोजना तथा संकट प्रबंधन व्यवस्थाओं में रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्व संकेतक पर्यवेक्षी कार्रवाई तथा चलनिधि का प्रबंध, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफ़एसडीसी) द्वारा समष्टि विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण तथा अंतर –विनियामक समन्वयन और वित्त मंत्रालय द्वारा संकट- संबंधी घटनाओं को कम करना शामिल है।

संदर्भ:

1. आईएडीआई (2014), "आईएडीआई कोर प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव डिपॉज़िट इन्शुरेंस सिस्टम्स", नवंबर।
2. आईएडीआई (2019), "डिपॉज़िट इन्शुरर्स रोल इन कंटिजेंसी प्लानिंग एन्ड सिस्टम- वाइड क्राइसिस प्रीपेरंड्नेस अँड मैनेजमेंट", गाइडंस पेपर, मई।

प्रदान करता है और सरकारी एवं निजी क्षेत्र में उधारकर्ताओं को सीधे उधार (परियोजना वित्तपोषण) भी देता है। कई वर्षों से, एनएचबी का ध्यान सेवा से वंचित आबादी एवं अल्प सेवा-प्राप्त क्षेत्रों के आवास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देने पर केंद्रित था। इसके अलावा, एनएचबी द्वारा निम्न-आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास का प्रबंधन करता है। रिज़र्व बैंक द्वारा एनएचबी की ₹14.5 बिलियन की समग्र पूंजी 19 मार्च 2019 को भारत सरकार को निर्निहित की गई।

[8] इन दायित्वों को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
i) "पे बॉक्स": जमाराशि के बीमाकर्ता पर केवल बीमाकृत जमाराशियों की प्रतिपूर्ति का दायित्व है।
ii) "पे बॉक्स प्लस": जमाराशि बीमाकर्ता के कुछ अतिरिक्त दायित्व हैं जैसे कि कतिपय समाधान कार्य (उदाहरण: वित्तीय समर्थन);
iii) "हानि कम करने वाला (मिनीमाइज़र)": बीमाकर्ता सक्रिय रूप से अल्पतम –लागत समाधान रण नीतियां के चयन का कार्य करता है।
iv) "जोखिम कम करने वाला (मिनीमाइज़र)": बीमाकर्ता के पास व्यापक जोखिम कम करने का कार्य हैं जिनमें जोखिम मूल्यांकन/ प्रबंधन, शीघ्र हस्तक्षेप तथा समाधान संबंधी समग्र शक्तियां तथा कतिपय मामलों में विवेकपूर्ण निरीक्षण के दायित्व भी शामिल हैं।